

सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

खण्ड-I

2021-2022



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-I

2021-22

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन

31 मार्च 2022 तक के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किये जा रहे हैं।

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल को भी प्रेषित किये जा रहे हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(v-vii)
वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	(ix-xvi)
खण्ड-I	
1 वित्तीय स्थिति का विवरण....	2-3
2 प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4-6
अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	7-9
3 प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	10-13
4 व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14-17
(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय....	18-19
5 प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	20-32
6 उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	33-38
7 सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	39-46
8 सरकार के निवेशों का विवरण	47
9 सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण	48
10 सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण	49
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	50-51
12 राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	52-58
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश	59-61
वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ	62-79

विषय सूची (जारी)

खण्ड-II

	पृष्ठ
भाग-I	
14 लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	82-111
15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	112-162
16 लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	163-247
17 उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	248-263
18 सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	264-291
19 सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	292-316
20 सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण.... ..	317-324
21 आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण	325-343
22 चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	344-347
भाग-II	
परिशिष्ट-	
I वेतन पर तुलनात्मक व्यय	350-356
II सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय	357-358
III संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्थान-वार और योजना-वार)	359-362
IV बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	363-364
V योजनाओं पर व्यय-	
क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय योजनाएं)	365-367
ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं.... ..	368-371

विषय सूची (समाप्त)

भाग-II	पृष्ठ	
परिशिष्ट- (समाप्त)		
VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	372-374
VII	शेषों की स्वीकृति और मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है).....	375-376
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	377-378
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ और अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची	379-397
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय	398-404
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	405
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	406-407
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मर्गें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है	408-412

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

राय

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के वित्त लेखों की लेखापरीक्षा की है, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के खातों के साथ-साथ वित्तीय स्थिति और/ या संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा को प्रस्तुत करता है। वित्त लेखाओं का संकलन दो खण्डों में निहित है, खण्ड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खण्ड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोग लेखाओं को, जो बजट तुलना को प्रस्तुत करते हैं, एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं की टिप्पणियों' के साथ पठित वर्ष 2021-22 हेतु वित्त लेखे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट स्थिति को प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान संचालित की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य बिन्दु 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार पर मेरे अन्य प्रतिवेदनों वित्त, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा में निहित है।

मत के लिए आधार

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाए तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करे कि लेखे महत्वपूर्ण गलत विवरण से रहित है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को सम्मिलित किया जाता है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरी राय के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और सहायक लेखाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायित्व

संघ शासित क्षेत्र सरकार विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। संघ शासित क्षेत्र सरकार और बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी जैसे जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के कोषागार, कार्यालय और विभाग प्रारंभिक और सहायक लेखाओं की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ संव्यवहार की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनों, मानकों, नियमों और विनियमों के अनुसार उत्तरदायी हैं।

इसके अतिरिक्त, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और सहायक लेखाओं तथा संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन के लिए उत्तरदायित्व

लेखाओं को तैयार करने व संकलन के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार की जाती है।

वार्षिक लेखाओं को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

विवरण (संख्या 7, 8, 9, 19 और 20), व्याख्यात्मक नोट (विवरण संख्या 5, 6 और कथन संख्या 2 का अनुलग्नक) और परिशिष्ट (IV, V, VI, VIII, IX, XI और XII) यह संकलन सीधे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किया गया है जो ऐसी जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से की जाती है।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) व कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय निश्चित संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग प्रणालियों एवं प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।


अति महत्त्वपूर्ण प्रकरण

में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:

जम्मू और कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा जुटाए गए ₹ 2,250.00 करोड़ और जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उठाए गए ₹ 10,321.83 करोड़ के ऋण को वार्षिक खातों में सरकार की देनदारी के रूप में नहीं दिखाया गया था। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, और इसलिए ये ऑफ-बजट उधारी हैं।

अति महत्त्वपूर्ण प्रकरण के कारण वित्त लेखाओं पर मेरी राय संशोधित नहीं हुई है।

दिनांक: 06 दिसम्बर 2022
नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखाओं की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर के वित्त लेखे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखाओं के साथ ही राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों से पूर्वाकलित संघ शासित क्षेत्र सरकार की देयताओं एवं परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं को विनियोजन लेखाओं के साथ रखा जाता है, जो कि अनुदानों/ विनियोजनों के प्रति व्यय की तुलना करते हैं।

2. संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: समेकित निधि: यह निधि संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किये गये अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त की गयी सभी धनराशि को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर प्रभार होती है तथा विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमण्डल द्वारा दत्तमत होते हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग सम्मिलित हैं: राजस्व तथा पूँजीगत (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। इन्हें आगे 'प्राप्तियाँ' एवं 'व्यय' में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, अर्थात् "कर राजस्व", "करेतर राजस्व", तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। ये तीनों क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रों में विभक्त होते हैं जैसे "वस्तु एवं सेवा कर", "आय एवं व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएं", इत्यादि। पूँजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग में कोई क्षेत्रक अथवा उप-क्षेत्रक नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रों में विभाजित होता है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "सामाजिक सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं", तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय अनुभाग में ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रों में विभक्त हो जाते हैं जैसे "राज्य के अंग" 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि। पूँजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रों में उप-विभाजित किया जाता है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "समाज सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं", "लोक ऋण", "ऋण तथा अग्रिम", "अंतर्राज्यीय निपटारा" तथा "आकस्मिकता निधि को अंतरण"।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

भाग II: आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत स्थापित किया जाता है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा प्राधिकरण लंबित होता है, उन्हें वहन करने के लिए अग्रिमों की पूर्ति हेतु उपराज्यपाल के निपटान पर रखा जाता है। निधि को संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे करके प्रतिपूरित किया जाता है। वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 25.00 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशि, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा होती है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमाओं (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (दोनों जो अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लम्बित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छह क्षेत्रक सम्मिलित हैं अर्थात् “अल्प बचत”, “भविष्य निधि” इत्यादि, “आरक्षित निधियाँ”, “जमाएं एवं अग्रिम”, “उचंत एवं विविध”, “प्रेषण” तथा “रोकड़ शेष”। ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधानमण्डल के मत का विषय नहीं है।


3. सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं, नामतः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो वर्ण), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक) तथा वस्तु शीर्ष (दो या तीन अंक) । मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/ कार्यकलापों, उप-शीर्ष योजनाओं, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं तथा वस्तु शीर्ष व्यय के अभिप्राय/ उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग प्रतिमान शामिल है (31 मार्च 2022 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋणों तथा अग्रिमों सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

5. लेखे की संरचना का सचित्र वर्णन नीचे दिया गया है:



ख. वित्त लेखे में क्या निहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, तेरह विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार की वित्तीय स्थिति तथा संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं, लेखाओं की टिप्पणियाँ निहित है। **खण्ड I** के 13 विवरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्ष के अंत में विद्यमान संचयी आँकड़ों तथा पिछले वर्ष के अंत की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

2. **प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण:** यह विवरण सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुलग्नक भी निहित है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को सम्मिलित करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों और उधार तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान समावेश करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक सामान्य वर्णन से हटकर यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय के उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।
6. **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार के उधारों में इसके द्वारा लिये गये बाजार ऋणों (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों को शामिल किया जाता है। 'अन्य देयताओं' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमा' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।
7. **सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण:** यह विवरण सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी ऋणों और अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूँजी में सरकार के निवेशों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

9. **सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण:** यह विवरण सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों का मूल तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।
10. **सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण:** यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान प्राप्तकर्ता जैसे, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिये गये समस्त सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध करवाता है।
11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों का विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरु में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरा किया जाता है।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश:** यह विवरण लेखाओं की परिशुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 14,15,16,17,18 तथा 21 के समतुल्य है।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

लेखाओं पर टिप्पणियाँ प्रकटनों तथा व्याख्यात्मक नोट को प्रदान करते हैं जिनसे संव्यवहारों, संव्यवहारों के वर्गों, शेषों इत्यादि से संबंधित अतिरिक्त सूचना/ व्याख्या प्रदान करना इच्छित है जो वित्त लेखाओं के हितधारकों/ प्रयोक्ताओं के लिए सहायक होंगे।

बजट तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार, भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएस) की आवश्यकताएँ, लेखाओं का स्वरूप, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन इत्यादि को सम्मिलित करते हुए महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को वित्त लेखा के खण्ड - I में लेखाओं पर टिप्पणियाँ के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

वित्त लेखाओं के खण्ड II में दो भाग हैं- भाग I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग II में 13 परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

खण्ड II का भाग I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है। लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने के अतिरिक्त यह विवरण उप शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के संबंध में ब्यौरों को दर्शाता है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं।
16. **लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को योजनागत (संघ शासित क्षेत्र योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजना योजनाएं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लघुशीर्ष स्तर पर पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, महत्त्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में, यह विवरण उप-शीर्ष स्तरों तक भी ब्यौरे को दर्शाता है।
17. **उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों को समाविष्ट करता है। यह विवरण तीन श्रेणियों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋणों के ब्यौरे; (ख) परिपक्वता विवरणिका अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के ऋणों से संबंधित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
18. **सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के समतुल्य है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण अधिष्ठान वार निवेशों के ब्यौरे तथा विवरण 16 और 19 के बीच, विसंगतियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्षवार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 8 के समतुल्य है।
20. **सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकारी प्रत्याभूतियों के इकाई वार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 9 के समतुल्य है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(जारी)

21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण:** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में लघु शीर्ष स्तर पर बकाया शेषों का विवरण दर्शाता है।
22. **चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण:** यह विवरण, आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से निवेशों के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में वेतन, सहायिकी, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं इत्यादि विभिन्न मदों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **तेरह परिशिष्ट** सम्मिलित हैं। इन ब्यौरों को लेखाओं में उप-शीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किया जाता है तथा ऐसा सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II में विषय सूची पर दर्शायी गयी है। परिशिष्ट के साथ पठित विवरण तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा संवितरणों के लेखाओं के साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणक

नीचे दिया गया अनुभाग खण्ड I में दर्शाये गये संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरणों के साथ सीधा संपर्क नहीं है, को नीचे नहीं दर्शाया गया है)

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-(समाप्त)

मापदण्ड	(खण्ड I)	(खण्ड II)	परिशिष्ट
	संक्षिप्त विवरण	विस्तृत विवरण	
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	---
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (सहायिकी)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	---	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	---
ऋण की स्थिति/ उधार	1, 2, 6	17	---
कंपनियों, निगमों इत्यादि में सरकार के निवेश	8	19	---
रोकड़	1, 2, 12, 13	---	---
लोक लेखा में शेष तथा उसके निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	---
प्रत्याभूतियाँ	9	20	
योजनाएं	---	---	IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं),

खण्ड-I

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(बोर्ड में आंकड़े जम्मू एवं कश्मीर यूटी द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)				
परिसंपत्तियाँ [1]	संदर्भ क्र. सं.		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण	तक	तक
(₹ करोड़ में)				
रोकड़			1,447.65 (-) 42.08	1,447.69 (-) 42.08
(i) कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद		21	- 6.77	- 6.77
(ii) विभागीय शेष		21	- 4.97	- 4.97
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	- 0.12	- 0.12
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	- 383.92	- 383.92
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में जमाएं	5(v)	21	1,447.65 * (-) 448.72	1,447.69 (-) 448.72
(vi) चिह्नित निधियों से शेष[2]		22	- 10.86	- 10.86
पूँजीगत व्यय		5 व 16	26,939.61 103,000.76	15,892.58 103,000.76
(i) कंपनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश		5 व 16	235.40 \$ 4,620.16	166.03 \$ 4,617.16
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		5 व 16	26,704.21 98,380.60	15,726.55 98,383.60
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	4	21	- -	- -
ऋण और अग्रिम	3 (xiii)	18	168.26 1,740.44	95.51 1,740.44
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	- 12.69	- 12.69
उंचत और विविध शेष[3]	5 (iii)	21	- 344.15	- 344.15
प्रेषण शेष	5 (iii)	21	698.32 -	- -
आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण			-	25.00
प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता[4]		12	355.95 ^	300.14
	कुल		29,609.79 # 105,055.96	17,760.92 105,055.96

[1] परिसंपत्तियों और देयताओं के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' अनुभाग में टिप्पणी 1 (v) का भी अवलोकन करें।

[2] कंपनियों इत्यादि के शेयरों में चिह्नित निधियों में से निवेश को पूँजीगत व्यय से बाहर रखा गया है और 'चिह्नित निधियों से निवेश' के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

[3] इस विवरण में लाइन मद 'उंचत और विविध शेष' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा, 'विभागीय शेष' और 'स्थायी नकद अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं, जिनको अलग से ऊपर सम्मिलित किया गया है, हालांकि बाद वाला इन लेखाओं में कहीं और इस क्षेत्र का हिस्सा है।

[4] प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/ राजस्व घाटे को प्रदर्शित नहीं करती है।

(*) कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर पाद टिप्पणी '@' "विवरण संख्या 02 के अनुलग्नक" खण्ड-1 का संदर्भ लें।

(5) पीएसयू द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से प्रस्तुत किए गए तथा पिछले वित्त लेखाओं में अपनाए गए आंकड़ों के आधार की बजाय प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को सौंपे गए लेखाओं में सरकार द्वारा बुक किए गए आंकड़ों पर आधारित।

(*) वर्ष 2020-21 के दौरान आकस्मिकता निधि को हस्तांतरित राशि के कारण ₹ 25.00 करोड़ की भिन्नता तथा मशीन पूर्णांकन के कारण वास्तविक के साथ ₹ 0.02 करोड़ की भिन्नता।

(#) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 13 में दर्शाए गए डेबिटों के साथ ₹ 0.02 करोड़ की भिन्नता।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-(समाप्त)

(बोर्ड में ऑकड़े जम्मू एवं कश्मीर यूटी द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

देयताएं	संदर्भ क्र. सं.		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021 तक
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण	तक	
(₹ करोड़ में)				
उधार (लोक ऋण)			25,137.83 ^ 46,666.22	12,667.64 46,666.22
(i) आंतरिक ऋण		6 व 17	19,306.08 \$ 45,429.09	10,562.21 45,429.09
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-अनियोजित ऋण		6 व 17	5,831.75 \$ 1,237.13	2,105.44 1,237.13
राज्य आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	- 96.29	- 96.29
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	(-)293.72 1,055.03	(-)175.81 1,055.03
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं के लिए ऋण		6 व 17	-	-
विधानमण्डल योजनाओं के साथ राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण		6 व 17	6,125.47 38.77	2,281.25 38.77
अन्य ऋण		6 व 17	- 47.04	- 47.04
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	4	21	25.00 1.00	25.00 1.00
लोक लेखा पर देयताएं			4,446.96 39,728.77	5,068.28 39,728.77
(i) लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि		17 व 21	1,591.41 27,161.62	2,185.97 27,161.62
(ii) आरक्षित निधियाँ	5(ii) (क)(ख)	21 व 22	920.13 2,805.43	771.13 2,805.43
(iii) जमाएं		17 व 21	1,686.04 \$ 6,914.23	1,355.53 6,914.23
(iv) प्रेषण शेष	5(iii)	21	- 2,847.49	634.50 2,847.49
(v) उचत और विविध शेष	5(iii)	21	249.38 -	121.15 -
व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता		12	- 18,659.97	- 18,659.97
कुल			29,609.79 # 105,055.96	17,760.92 105,055.96

(^) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 6 में दर्शाए गए ऑकड़ों में ₹ 0.02 करोड़ की भिन्नता।

(\$) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 6 तथा 12 में दर्शाए गए ऑकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(#) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 13 में दर्शाए गए ऑकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

भाग-1 समेकित निधि					
अनुभाग-क: राजस्व					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2021-22	2020-21		2021-22	2020-21
(₹ करोड़ में)					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3 व 14)	59,238.50	52,495.48	राजस्व व्यय (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	59,269.33	52,633.75
कर राजस्व (संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सृजित) (संदर्भ विवरण 3 व 14)	11,707.28	8,876.99	वेतन[1] (संदर्भ विवरण 4-ख और परिशिष्ट-I)	26,076.79	23,850.26
करेतर राजस्व (संदर्भ विवरण 3 व 14)	4,840.45	4,076.38	सहायिकाएं[1] (संदर्भ परिशिष्ट-II)	-	0.19
			सहायता अनुदान[1] [2] (संदर्भ विवरण 4-ख, 10 और परिशिष्ट-III)	4,807.26	6,470.27
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 4 व 15)	21,037.88	17,694.17
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3 व 14)	16.54	17.86	ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)	7,405.31	6,428.09
			पेंशन (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)	11,563.00	9,078.11
अन्य (संदर्भ विवरण 3 व 14)	4,823.91	4,058.52	अन्य (संदर्भ विवरण 4-ख)	2,069.57	2,187.97
संघीय कर/ शुल्कों का अंश (संदर्भ विवरण 3 व 14)	-	-	समाज सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क व 15)	4,221.21	3,841.64
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क व 15)	3,126.19	777.21
केन्द्र सरकार से अनुदान (संदर्भ विवरण 3 व 14)	42690.77 ^(§)	39,542.11	स्थानीय निकायों और पीआरआई को प्रतिकर और समुदेशन (संदर्भ विवरण 4-क व 15)	-	-
राजस्व घाटा	30.83 [^]	138.27	राजस्व अधिशेष	-	-

[1] वेतन, सहायिकी और सहायता-अनुदान के आँकड़ों को सभी क्षेत्रों में एक समेकित आँकड़ा पेश करने के लिए अभिव्यक्त किया गया है। 'सामाजिक', 'सामान्य' और 'आर्थिक' सेवाओं के क्षेत्रों के अंतर्गत इस विवरण में होने वाले व्यय में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, सहायिकी और सहायता अनुदान (इनकी व्याख्या क्रमशः विवरण 15 खण्ड-II में नीचे 'सामान्य', 'सामाजिक', और 'आर्थिक सेवाओं' के रूप में पाद टिप्पणी भ, म, और य में की गई)

[2] सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता-अनुदान दी जाती है जो ऊपर एक लाइन मद के रूप में सम्मिलित है। ये अनुदान स्थानीय निकायों के लिए करों, शुल्कों की क्षतिपूर्ति और आबंटन से अलग हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों और पीआरआई को क्षतिपूर्ति और आबंटन के रूप में दर्शाया गया है।

(§) 31 मार्च 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मोचित ₹ 186.85 करोड़ सम्मिलित परंतु अप्रैल 2021 में सरकार के खाते में क्रेडिट किए गए।

(^*) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 12 में ₹ 0.01 करोड़ तक भिन्नता

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

भाग-I समेकित निधि-(समाप्त)					
अनुभाग-ख: पूँजीगत-					
प्राप्तियाँ	2021-22		2020-21		संवितरण
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	
(₹ करोड़ में)					
पूँजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3 व 14)	-	-	पूँजीगत व्यय (संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 16)	11047.04*#	10,470.38
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क व 16)	659.03	776.24
			समाज सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क व 16)	2,722.61	2,492.57
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क व 16)	7,665.40	7,201.57
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ (संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)	1.03	1.93	संवितरित ऋण और अग्रिम (संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)	73.77	61.64
सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)	-	-	सामान्य सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)	-	-
समाज सेवाएं (संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)	0.21	0.17	समाज सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)	-	1.00
आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)	0.04	1.29	आर्थिक सेवाएं (संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)	73.77	60.64
अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण) (संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)	0.78	0.47	अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण) (संदर्भ विवरण 4-क 7 व 18)	-	-
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)	54,045.35	42,732.93	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)	41,575.17^	33,563.32
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) (संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)	50,199.86	40,450.24	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) (संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)	41,455.99	33,444.98
भारत सरकार से ऋण (संदर्भ विवरण 3,6 व 17)	3,845.49	2,282.69	भारत सरकार से ऋण (संदर्भ विवरण 4-क,6 व 17)	119.18^	118.34
आकस्मिकता निधि में अंतरण	-	-	आकस्मिकता निधि में अंतरण	-	25.00
आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	25.00
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (संदर्भ विवरण 3)	113,284.88	95,230.34	कुल व्यय समेकित निधि (संदर्भ विवरण 4)	1,11,965.31	96,754.09
समेकित निधि में घाटा	-	1,523.75	समेकित निधि में अधिशेष	1,319.57	

(*) ₹ 95.16 करोड़ सहायिकी और ₹ 63.60 करोड़ का सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। कृपया लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I के पैरा 3 (ii) का अवलोकन करें।

(#) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 4-बी में 0.01 करोड़ की भिन्नता

(^) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 6 में लिए गए आंकड़ों के साथ 0.01 की भिन्नता

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-ख: पूंजीगत-(समाप्त)					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2021-22	2020-21		2021-22	2020-21
(₹ करोड़ में)					
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ विवरण 21)	-	25.00	आकस्मिकता निधि (संदर्भ विवरण 21)	-	-
भाग-III लोक लेखा[3]					
लघु बचतें (संदर्भ विवरण 21)	6,023.99	5,968.29	लघु बचतें (संदर्भ विवरण 21)	6,618.55	4,824.12
आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ (संदर्भ विवरण 21)	432.89 ^	790.67	आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ (संदर्भ विवरण 21)	283.90	206.49
जमाएं (संदर्भ विवरण 21)	4,282.24	3,427.29	जमाएं (संदर्भ विवरण 21)	3,951.72^	2,845.33
अशिम (संदर्भ विवरण 21)	-	-	अशिम (संदर्भ विवरण 21)	-	-
उचित तथा विविध[4] (संदर्भ विवरण 21)	16,438.34	12,655.15	उचित तथा विविध[4] (संदर्भ विवरण 21)	16,310.11	12,737.49
प्रेषण (संदर्भ विवरण 21)	46.01	1,992.42	प्रेषण (संदर्भ विवरण 21)	1,378.82	2,756.23
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा (संदर्भ विवरण 21)	27,223.47	24,833.82	कुल संवितरण लोक लेखा (संदर्भ विवरण 21)	28,543.10	23,369.66
लोक लेखा में घाटा	1,319.63	-	लोक लेखा में अधिशेष	-	1,464.16
अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)			अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)		
अथ रोकड़ शेष	1,447.69 #	1,482.28	अंत रोकड़ शेष (संदर्भ विवरण 21)	1,447.65	1,447.69
रोकड़ शेष में वृद्धि	-	-	रोकड़ शेष में घाटा	0.04	34.59

[3] ब्योरे हेतु कृपया विवरण 17 तथा 21 में खंड II का संदर्भ लें।

[4] उचित और विविध में "अन्य लेख" जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं के कारण आंकड़े बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं। ब्योरे हेतु कृपया विवरण 21, खण्ड-II का संदर्भ लें।

(^*) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 6 में लिए गए आंकड़ों के साथ ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(#) कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के विवरण संख्या 2 के परिशिष्ट के पृष्ठ संख्या 7 पर पाद टिप्पणी '@' तथा पैरा 5(v) का संदर्भ लें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण -(जारी)

अनुलग्नक क		
रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश		
(₹ करोड़ में)		
सरकार की संपूर्ण रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(i) कोषागारों में रोकड़	-	-
(ii) आरबीआई के पास अग्रिम एमएच 8999	6.77	6.77
	1,447.69	1,447.65 (@)
	(-469.74)	(-469.74)
(iii) जेएण्डके बैंक और अन्य बैंकों में जमा	-	-
	21.02	21.02 (\$)
(iv) स्थानीय प्रेषण	-	-
कुल	1,447.69	1,447.65
	(-441.95)	(-441.95)
- रोकड़ शेष निवेश खाते में रोका गया शेष (एमएच 8673)	-	-
	383.92	383.92
कुल (क)	1,447.69	1,447.65
	(-58.03)	(-58.03)
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(i) विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, अर्थात्, लोक निर्माण एवं वन के प्रभागीय अधिकारी	4.97	4.97
(ii) विभागीय अधिकारियों के साथ आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0.12	0.12
(iii) चिह्नित निधियों में से निवेश	10.86	10.86 (*)
कुल (ख)	15.95	15.95
कुल (क) और (ख)	1,447.69	1,447.65
	(-42.08)	(-42.08)

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यो: रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य राजकोषों, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा, अन्य बैंकों तथा पारगमन में प्रेषण, रोकड़ से मिलकर बना है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। रिजर्व बैंक के पास जमा शीर्ष के अंतर्गत शेष, 31 मार्च 2022 के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। संपूर्ण रोकड़ स्थिति तक पहुँचने के लिए रोकड़ शेषों/ आरक्षित निधियों आदि में से कोषागारों, विभागों और निवेशों में रखे रोकड़ शेष 'आरबीआई के पास जमा' शेष में जमा किया जाता है।

(@) रिजर्व बैंक के पास जमा शेष भारतीय लेखा के अनुसार रखे शेष को दर्शाता है, जिसमें 10 अप्रैल 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी भुगतानों की सलाह भी सम्मिलित है। जैसा कि लेखाओं से पता चलता है कि अंकों के मध्य ₹ 1.92 करोड़ (डे.) का कुल अंतर है [₹ 1,447.65 करोड़ (डे.)] और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

(\$) जिसमें इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लाहौर में पड़े ₹ 0.03 करोड़ भी सम्मिलित हैं। हालांकि यह लेखा परिचालित नहीं किया जा रहा है।

(*) निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनलग्नक क-(जारी)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश -(जारी)

- (क) दैनिक रोकड़ शेष: भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अंतर्गत, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को दिनांक 01.04.2020 से सभी दिवसों में बैंक में ₹1.14 करोड़ के न्यूनतम रोकड़ शेष का अनुरक्षण करना है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम रहता है, तो कमी को समय-समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों को लेते हुए ठीक किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक उपर्युक्त न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष की सीमा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुदान के सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवर ड्राफ्टों के प्रयोजनों हेतु दैनिक रोकड़ को शेष बनाये रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग के साथ दिन में हुए संव्यवहारों की रिपोर्टों (आरबीआई काउंटर पर एजेन्सी बैंकों द्वारा अंतर सरकारी संव्यवहार तथा कोषागार संव्यवहार को रिपोर्ट किया गया) का मूल्यांकन करती है। ऐसा करके जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसको 14 दिनों के कोषागार बिलों की परिपक्वता यदि कोई हो, को जोड़कर और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखने के उपरांत बकाया शेष, यदि कोई हो, को कोषागार बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। **परिणामस्वरूप प्राप्त कुल रोकड़ शेष यदि न्यूनतम रोकड़ शेष एवं जमा शेष से कम रहता है और अगर उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषागार बिल परिपक्व नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आरबीआई 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग्स को फिर से छूट प्रदान करती है और कमियों को दूर करती है। यदि उस दिन कोई 14 दिवसीय कोषागार बिल की होल्डिंग्स न हो उस स्थिति में सरकार अन्य सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों/ विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्ट को लागू**
- (ख) दिनांक 1 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020 तथा 29 सितंबर 2020 के आरबीआई प्रेस रिलीज के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार हेतु सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा ₹ 11,44.00 करोड़ थी, जिसे आगे 17 अप्रैल 2020 से ₹ 14,08.00 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान वह तय सीमा, जिसमें सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखती है, नीचे दी गयी है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	दिनों की संख्या
उन दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम लिये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	62
उन दिनों की संख्या जिनमें विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	125
उन दिनों की संख्या जिनमें उपर्युक्त अग्रिम लेने के उपरांत भी न्यूनतम शेष में कमी थी किन्तु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया।	178

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- (i) वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लिये गये थे। 31.03.2022 को शेष ₹ 499.54 करोड़ (सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 499.54 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य)। दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को ₹ 692.11 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 692.11 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य) का शेष था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(समाप्त)

अनुलग्नक क-(समाप्त)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश -(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

(ii) संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दिनांक 01.04.2020 से एक करार किया।

01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान रैपो दर निम्नानुसार थी:-

अवधि
रैपो दर

01.04.2021 से 31.03.2022

4.00 प्रतिशत

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों संबंध में ब्याज 90 दिनों तक प्रभारित किया जाता है, जो रैपो दर के समकक्ष होता है और 90 दिनों से अधिक अवधि हो जाने पर यही ब्याज रैपो का एक प्रतिशत अधिक हो जाता है।

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की 100 प्रतिशत तक की सीमा तक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रैपो दर से दो प्रतिशत अधिक होता है तथा सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के 100 प्रतिशत से अधिक होने पर यही रैपो दर पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्टों पर भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमशः ₹ 38.50 करोड़ तथा ₹ 22.64 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

(ग) वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार के कोषागार बिल जिनका मूल्य ₹ 15,072.47 करोड़ (₹ 15,072.47 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा शून्य संघ शासित क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) था, उन्हें 27 अवसरों पर खरीदा गया तथा ₹ 15,072.47 करोड़ (₹ 15,072.47 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा शून्य संघ शासित क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) को 38 अवसरों पर पुनः छूट दी गई। 31 मार्च 2022 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में कोई राशि नहीं थी। तथापि, 30 अक्टूबर 2019 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में रोकी गयी ₹ 383.92 करोड़ की राशि अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

(घ) वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा रोकड़ शेष निवेश लेखा पर ₹ शून्य ब्याज अर्जित किया गया था।

(* निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)

		(वास्तविक)	(वास्तविक)
	विवरण	2021-22	2020-21
		(₹ करोड़ में)	
	राजस्व प्राप्तियाँ-		
क.	कर राजस्व-		
क.1	स्वयं के कर राजस्व-	11,707.28	8,876.99
	संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	6,394.30	4,839.35
	भू-राजस्व	113.28	60.57
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	512.02	325.54
	राज्य उत्पाद शुल्क	1,782.79	1,347.42
	बिक्री कर	1,906.32	1,495.61
	वाहनों पर कर	616.24	488.38
	वस्तुओं और यात्रियों पर कर	5.73	0.90
	विद्युत पर कर और शुल्क	376.60	319.22
	अन्य	-	-
क.2	करों की निवल प्राप्तियों का अंश -	-	-
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-	-
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-	-
	निगम कर	-	-
	निगम कर के अलावा आय पर कर	-	-
	आय और व्यय पर अन्य कर	-	-
	धन-संपत्ति पर कर	-	-
	सीमा शुल्क	-	-
	संघीय उत्पाद शुल्क	-	-
	सेवा कर	-	-
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	-	-
	अन्य	-	-
	कुल-क	11,707.28	8,876.99
ख.	करेतर राजस्व-		
	विद्युत	2,715.75	2,349.74
	मुख्य/ मध्यम सिंचाई	886.62	996.66
	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	474.12	41.33
	वानिकी और वन्य जीवन	201.23	152.97

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

	विवरण	(वास्तविक)	(वास्तविक)
		2021-22	2020-21
		(₹ करोड़ में)	
	राजस्व प्राप्तियाँ-(जारी)		
ख.	करेतर राजस्व-(समाप्त)		
	अलौह खनन और धात्विक उद्योग	128.78	227.91
	जलापूर्ति और स्वच्छता	111.88	93.89
	पुलिस	68.68	39.91
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	41.63	19.15
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	30.99	23.82
	लोक निर्माण	29.62	25.49
	पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	21.95	6.18
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ ^(क)	16.54	17.86
	फसल पैदावार	16.19	13.29
	पशुपालन	12.33	11.20
	शहरी विकास	12.31	0.37
	लघु सिंचाई	10.93	9.42
	पर्यटन	9.90	2.13
	मत्स्यपालन	9.88	7.82
	श्रम और रोजगार	7.58	9.35
	लेखन सामग्री और मुद्रण	7.20	5.05
	आवास	5.74	4.08
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5.63	3.47
	ग्राम और लघु उद्योग	3.46	2.63
	खाद्य संग्रहण और भण्डारण	2.66	7.55
	अन्य	8.85	5.11
	कुल-ख	4,840.45	4,076.38

(क) ब्याज ₹ 16.54 करोड़, लाभांश शून्य और लाभ शून्य।

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

		(वास्तविक)	(वास्तविक)
विवरण		2021-22	2020-21
		(₹ करोड़ में)	
राजस्व प्राप्तियाँ-(समाप्त)			
II. भारत सरकार से अनुदान			
ग. अनुदान-			
केन्द्र सरकार से सहायता			
अनुदान-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-		6,713.77	6,533.49
केन्द्रीय सहायता/ अंश		6,713.77	6,385.75
बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान		-	147.74
अन्य		-	-
वित्त आयोग अनुदान-			
पश्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान		-	-
ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान		-	-
शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान		-	-
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष हेतु सहायता अनुदान		-	-
अन्य अंतरण/ राज्यों/ विधानमण्डल युक्त संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान-		35,977.00	33,008.62
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान		-	-
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान		320.78	79.40
विशेष सहायता		34,763.66 §	30,758.00
जीएसटी के कार्यान्वयन से हुयी राजस्व की हानि हेतु प्रतिकर		892.56	2,171.22
कुल-ग		42,690.77 #	39,542.11
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)		59,238.50 #	52,495.48
III. पूँजीगत, सार्वजनिक ऋण और अन्य प्राप्तियाँ			
घ. पूँजीगत प्राप्तियाँ-			
विनिवेश प्राप्तियाँ		-	-
अन्य		-	-
कुल-घ		-	-

(§) संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि-जेएण्डके अंशदान के प्रति ₹ 279.00 करोड़ की अनुदान सम्मिलित हैं।

(#) 31 मार्च 2021 को केन्द्र सरकार द्वारा मोचित ₹ 186.85 करोड़ का सहायता अनुदान सम्मिलित है, परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए।

3. प्राप्तियों का विवरण-(समेकित निधि)-(समाप्त)

विवरण	(वास्तविक)	(वास्तविक)
	2021-22	2020-21
	(₹ करोड़ में)	
ड. लोक ऋण प्राप्तियाँ-		
आंतरिक ऋण-	50,199.86	40,450.24
बाजार ऋण	8,562.00	9,328.00
आरबीआई से डब्ल्यूएमए[1]	36,103.03	30,800.28
बंध पत्र	-	-
वित्तीय संस्थानों से ऋण	534.83	321.96
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,000.00	-
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-	3,845.49	2,282.69
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण	3,845.49	2,282.69
कुल-ड	54,045.35	42,732.93
च. राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ) [2]	1.03	1.93
छ. अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-
समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ [3] (क +ख +ग +घ +ङ +च +छ)	113,284.88	95,230.34

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से लिये गये अर्थात् अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट।

[2] ब्योरे विवरण सं. 7 खण्ड-I और 18 खण्ड-II में दिये गये हैं।

[3] ब्योरे विवरण 14 और 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।

(#) 31 मार्च 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मोचित ₹ 186.85 करोड़ का सहायता अनुदान सम्मिलित है, परंतु अप्रैल 2021 में सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए।

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय					
विवरण		राजस्व	पूँजीगत	एलएण्डए	कुल
		(₹ करोड़ में)			
क.	सामान्य सेवाएं-				
क.1	राज्य के अंग-	378.52	-	-	378.52
	संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल	26.07	-	-	26.07
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	13.94	-	-	13.94
	मंत्रिपरिषद	-	-	-	-
	न्याय-प्रशासन	285.32	-	-	285.32
	चुनाव	53.19	-	-	53.19
क.2	राजकोषीय सेवाएं-	7,955.23	-	-	7,955.23
	भू-राजस्व	-	-	-	-
	स्टाम्प और पंजीकरण	9.76	-	-	9.76
	संपत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर अन्य करों का संग्रहण	-	-	-	-
	राज्य उत्पाद शुल्क	32.47	-	-	32.47
	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1.50	-	-	1.50
	वाहनों पर कर	33.16	-	-	33.16
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शुल्कों का संग्रहण	466.86	-	-	466.86
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.22	-	-	0.22
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	5.94	-	-	5.94
	ब्याज भुगतान और ऋण-सेवा	7,405.32 [^]	-	-	7,405.32
क.3	प्रशासनिक सेवाएं-	9,740.75	657.97	-	10,398.72
	लोक सेवा आयोग	10.69	-	-	10.69
	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	140.32	-	-	140.32
	जिला प्रशासन	515.27	-	-	515.27
	कोषागार और लेखे प्रशासन	153.96	-	-	153.96
	पुलिस	7,636.11	111.73	-	7,747.84
	कारावास	82.23	-	-	82.23
	लेखन सामग्री और मुद्रण	38.61	1.13	-	39.74
	लोक निर्माण	662.49	534.80	-	1,197.29
	सतर्कता	68.85	-	-	68.85
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	432.22	10.31	-	442.53

([^]) मशीन पूर्णांकन के कारण "प्राप्तियाँ एवं सवितरण " के विवरण संख्या 2 में तथा क्रमशः विवरण संख्या 2 व 4 में लिए गए आँकड़ों के साथ ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)				
विवरण	राजस्व	पूँजीगत	एलएण्डए	कुल (₹ करोड़ में)
क.4 पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं-	11,565.36	1.06	-	11,566.42
पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	11,563.00	-	-	11,563.00
विविध सामान्य सेवाएं	2.36	1.06	-	3.42
कुल सामान्य सेवाएं	29,639.86	659.03	-	30,298.89
ख. समाज सेवाएं-				
ख.1 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (विवरण के नीचे [1] देखें)	10,851.33	572.31	-	11,423.64
सामान्य शिक्षा	10,320.51	572.31	-	10,892.82
तकनीकी शिक्षा	132.60	-	-	132.60
खेल और युवा सेवाएं	361.47	-	-	361.47
कला और संस्कृति	36.75	-	-	36.75
ख.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-	4,977.18	636.79	-	5,613.97
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4,569.34	636.79	-	5,206.13
परिवार कल्याण	407.84	-	-	407.84
ख.3 जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास-	2,539.46	835.40	-	3,374.86
जलापूर्ति और स्वच्छता	1,693.67	174.99	-	1,868.66
आवास	90.01	209.43	-	299.44
शहरी विकास	755.78	450.98	-	1,206.76
ख.4 सूचना और प्रसारण-	84.94	0.22	-	85.16
सूचना और प्रचार	84.94	0.22	-	85.16
ख.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण-	105.40	125.35	-	230.75
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	105.40	125.35	-	230.75
ख.6 श्रम और श्रम कल्याण-	56.95	-	-	56.95
श्रम,रोजगार और कौशल विकास	56.95	-	-	56.95

[1] सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति के प्रति पूँजीगत परिव्यय बृक करने हेतु केवल मुख्य शीर्ष।

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
विवरण		राजस्व	पूँजीगत	एलएण्डए	कुल (₹ करोड़ में)
ख.7	समाज कल्याण और पोषण -	2,270.18	536.57	-	2,806.75
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,384.20	509.70	-	1,893.90
	पोषण	574.90	26.87	-	601.77
	प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत	311.08	-	-	311.08
ख.8	अन्य-	47.70	15.97	-	63.67
	अन्य समाज सेवाएं	1.32	15.97	-	17.29
	सचिवालय- समाज सेवाएं	46.38	-	-	46.38
	कुल समाज सेवाएं	20,933.14	2,722.61	-	23,655.75
ग.	आर्थिक सेवाएं-				
ग.1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-	3,073.53	796.24	-	3,869.77
	फसल पैदावार	618.18	362.86	-	981.04
	मृदा एवं जल संरक्षण	55.20	8.50	-	63.70
	पशुपालन	554.98	124.39	-	679.37
	डेयरी विकास	-	-	-	-
	मत्स्यपालन	100.05	31.17	-	131.22
	वानिकी एवं वन्य जीवन	1,158.55	127.85	-	1,286.40
	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	149.35	109.25	-	258.60
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	362.56	22.09	-	384.65
	सहकारिता	48.87	10.13	-	59.00
	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	25.79	-	-	25.79
ग.2	ग्रामीण विकास-	517.45	1,267.65	-	1,785.10
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम-	36.28	-	-	36.28
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	-	-	-	-
	भूमि सुधार	-	-	-	-
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	481.17	1,267.65	-	1,748.82
ग.3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-	-	-	-	-
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
ग.4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-	612.07	142.37	-	754.44
	मुख्य सिंचाई	8.01	-	-	8.01
	मध्यम सिंचाई	68.74	16.71	-	85.45
	लघु सिंचाई	394.01	62.64	-	456.65
	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	28.53	17.15	-	45.68
	बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह	112.78	45.87	-	158.65

4. व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(जारी)
क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(समाप्त)

विवरण		राजस्व	पूँजीगत	एलएण्डए	कुल
(₹ करोड़ में)					
ग.5	ऊर्जा-	3,131.10	1,230.00	-	4,361.10
	विद्युत	3,131.10	1,230.00	-	4,361.10
ग.6	उद्योग एवं खनिज -	370.25	129.21 ^	33.77	533.23
	ग्राम एवं लघु उद्योग	313.80	125.30 ^	-	439.10
	लौह एवं इस्पात उद्योग	-	2.71	-	2.71
	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	56.45	1.20	-	57.65
	अन्य उद्योग एवं खनिज	-	-	33.77	33.77
ग.7	परिवहन-	620.79	2,667.57	40.00	3,328.36
	सड़कें और पुल	620.79	2,612.67	-	3,233.46
	सड़क परिवहन	-	54.90	40.00	94.90
ग.8	संचार	-	-	-	-
ग.9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण-	45.16	52.61	-	97.77
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	45.16	-	-	45.16
	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान	-	52.61	-	52.61
ग.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं-	325.98	1,379.75	-	1,705.73
	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	80.79	-	-	80.79
	पर्यटन	146.17	133.97	-	280.14
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	86.75	-	-	86.75
	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.77	1,245.78 ^	-	1,258.05
	कुल आर्थिक सेवाएं	8,696.33	7,665.40	73.77	16,435.50
घ.	सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-				
	सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-	-	-	-	-
	विविध ऋण	-	-	-	-
	कुल सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि				
ङ.	लोक ऋण-				
	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	-	-	41,455.99	41,544.99
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	-	-	119.18 #	119.18
	कुल लोक ऋण			41,575.17	41,575.17
च.	अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-	-	-
छ.	आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-
	कुल समेकित निधि व्यय	59,269.33 *	11,047.04 \$	41,648.94	1,11,965.31

(*) मशीन पूर्णांकन के कारण "प्रणामी पूँजीगत व्यय" के विवरण संख्या 5 में तथा क्रमशः विवरण संख्या 4 व 5 में लिए गए आँकड़ों के साथ ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(#) मशीन पूर्णांकन के कारण "विवरण संख्या 6 में" लिए गए आँकड़ों के साथ ₹ 0.01 करोड़ का भिन्नता।

(+) मशीन पूर्णांकन के कारण "प्रकृति अनुसार व्यय" के विवरण संख्या 4 में तथा विवरण संख्या 2 में लिए गए आँकड़ों के साथ ₹ 0.03 करोड़ की भिन्नता।

(\$) मशीन पूर्णांकन के कारण "प्रकृति अनुसार व्यय" के विवरण संख्या 4 में तथा विवरण संख्या 2 में लिए गए आँकड़ों के साथ ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

4 व्यय का विवरण-

ख. प्रकृति के				
	व्यय की वस्तु	2021-22		
		राजस्व	पूँजीगत	कुल
(1)		(2)	(3)	(4)
(₹ करोड़ में)				
1	वेतन	26,076.79	-	26,076.79
2	पेन्शन और उपदान	11,563.00	-	11,563.00
3	निर्माण	65.73	9,977.12	10,042.85
4	ब्याज	7,360.31	-	7,360.31
5	सहायता अनुदान	4,807.26	63.60	4,870.86
6	एसपीओ/ वीडिओ/ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं इत्यादि को मानदेय	840.85	-	840.85
7	विद्युत प्रभार	710.88	-	710.88
8	औषधि और यंत्र	487.19	-	487.19
9	अनुरक्षण और मरम्मत	476.62	-	476.62
10	समारक्षण का बाह्यस्रोतन	378.94	-	378.94
11	किराया दर और कर	354.83	-	354.83
12	राहत और पुनर्वास	324.91	3.98	328.89
13	आरक्षित और जमा निधि को हस्तांतरित	320.78	-	320.78
14	मशीनरी और उपकरण	281.93	26.19	308.12
15	सामग्री और आपूर्तियाँ	289.68	6.86	296.54
16	रोकड़ सहायता	273.06	-	273.06
17	वजीफा और छात्रवृत्ति	194.15	-	194.15
18	परिवहन/ संभलाई प्रभार	149.86	-	149.86
19	सहायिकी	-	95.16	95.16
20	कार्यालयीन व्यय	89.40	-	89.40
21	विज्ञापन और प्रचार	76.24	-	76.24
22	पीओएल	61.92	-	61.92
23	यात्रा प्रभार	54.47	-	54.47
24	होटलों का किराया	51.38	-	51.38
25	निर्माण कार्य	49.94	0.67	50.61
26	प्रतिकर	48.29	-	48.29
27	आहार खर्च/ प्रभार	39.83	-	39.83
28	लघु निर्माण कार्य	-	36.21	36.21
29	चिकित्सा प्रतिपत्ति	25.63	-	25.63
30	फर्नीचर और साज-सज्जा	10.89	11.99	22.88
31	नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम	19.72	-	19.72
32	पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और प्रकाशन	16.66	-	16.66
33	दूरभाष	14.54	-	14.54
34	कैम्प, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन	13.68	-	13.68
35	पोशाक	13.62	-	13.62
36	पुरस्कार	8.74	-	8.74
37	अमर नाथ यात्रा	3.93	-	3.93
39	टीकाकरण	1.36	-	1.36
39	मजदूरियाँ	0.85	-	0.85
40	अन्य	3,711.44	825.27	4,536.71
	कुल	59,269.30 ^	11,047.05 ^	70,316.35

(*) विवरण संख्या 2 "प्राप्तियाँ एवं संवितरण" में दर्शाए गए आँकड़ों से ₹ 0.03 करोड़ (राजस्व व्यय) तथा ₹ 0.01 करोड़ (पूँजीगत व्यय) तक भिन्नता

(समेकित निधि)-(समाप्त)

अनुसार व्यय

2020-21			2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		
राजस्व	पूँजीगत	कुल	राजस्व	पूँजीगत	कुल
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
23,850.26	0.17	23,850.43	10,707.38	-	10,707.38
9,078.11	-	9,078.11	2,095.31	-	2,095.31
88.92	8,770.21	8,859.13	0.24	4,907.49	4,907.73
6,372.46	-	6,372.46	2,531.63	-	2,531.63
6,470.27	61.59	6,531.86	3,966.96	32.02	3,998.98
795.64	2.88	798.52	256.86	2.55	259.41
617.66	-	617.66	240.23	0.08	240.31
517.10	27.65	544.75	52.91	-	52.91
339.29	-	339.29	149.50	0.01	149.51
335.97	-	335.97	212.84	-	212.84
149.93	-	149.93	69.45	-	69.45
324.40	0.03	324.43	11.42	2.55	13.97
445.03	-	445.03	49.48	-	49.48
241.61	38.82	280.43	187.27	6.38	193.65
290.64	19.43	310.07	267.48	94.68	362.16
275.34	-	275.34	93.01	-	93.01
183.14	-	183.14	91.96	0.17	92.13
208.86	0.42	209.28	154.25	0.01	154.26
0.19	128.05	128.24	-	87.69	87.69
88.46	0.57	89.03	50.78	0.40	51.18
64.29	0.34	64.63	46.38	0.07	46.45
56.46	0.29	56.75	28.81	0.15	28.96
60.41	2.04	62.45	29.38	0.13	29.51
70.08	-	70.08	49.57	-	49.57
-	-	-	-	2.10	2.10
48.53	-	48.53	27.61	-	27.61
33.28	-	33.28	16.17	-	16.17
-	224.11	224.11	-	46.29	46.29
32.99	-	32.99	24.61	-	24.61
21.91	0.83	22.74	15.83	1.05	16.88
19.49	-	19.49	21.77	-	21.77
23.76	0.39	24.15	29.94	0.04	29.98
15.37	-	15.37	6.30	-	6.30
14.55	0.73	15.28	17.02	1.54	18.56
12.63	-	12.63	13.20	-	13.20
6.96	4.18	11.14	3.67	-	3.67
5.68	-	5.68	14.11	-	14.11
1.57	1.72	3.29	-	-	-
1.27	-	1.27	0.65	-	0.65
1,471.24	1,185.93	2,656.53	1,185.45	236.80	1,422.25
52,633.75	10,470.38	63,104.13	22,719.43	5,422.20	28,141.63

विवरण संख्या 4 "कार्य अनुसार व्यय"

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
क- सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			4.07			4.07	
4055-	पुलिस पर पूँजीगत व्यय	164.10	374.90	-	111.73	486.63	(-)32
			1,356.87			1,356.87	
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	2.74	4.93 \$	-	1.13	6.05 \$	(-)59
			34.95			34.95	
4059-	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	531.57	978.78	-	534.80	1,513.58	(+)01
			6,153.33			6,153.33	
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7.37	11.51 \$	-	10.31	21.82	(+)40
			104.39			104.39	
4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	70.46	139.69	-	1.06	140.75	(-)98
			163.21			163.21	
	कुल क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	776.24	1,509.80 #	-	659.03	2,168.83	(-)15
			7,816.82			7,816.82	

(\$) विवरण संख्या 5 में मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की भिन्नता

(#) विवरण संख्या 5 में मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा-							
4202-	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-	597.74	844.58 \$	-	572.31	1,416.89	(-)04
			6,982.53			6,982.53	
	कुल-ख(क)-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा	597.74	844.58	-	572.31	1,416.89	(-)04
			6,982.53			6,982.53	
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-							
4210-	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	529.85	926.09	-	636.79	1,562.87 \$	(+)20
			4,906.22			4,906.22	
4211-	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			7.97			7.97	
	कुल-ख(ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	529.85	926.09	-	636.79	1,562.88 #	(+)20
			4,914.19			4,914.19	

(#) विवरण संख्या 5 में मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

(\$) विवरण संख्या 5 में मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की भिन्नता

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-							
4215-	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	311.28 \$	676.42 \$	-	174.99	851.41	(-)44
			7,946.76			7,946.76	
4216-	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	0.32	5.55	-	209.43	214.98	*
			374.07			374.07	
4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	537.08	883.23 \$	-	450.98	1,334.21	(-)16
			4,994.90			4,994.90	
	कुल-ख(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	848.68 \$	1,565.20	-	835.40	2,400.60	(-)02
			13,315.73			13,315.73	
(घ) सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा-							
4220-	सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.44	0.79	-	0.22	1.01	(-)50
			33.49			33.49	
	कुल-ख (घ)-सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा	0.44	0.79	-	0.22	1.01	(-)50
			33.49			33.49	

(*) पूरे विवरण में 100 प्रति शत से अधिक

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-							
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	31.28	47.65	-	125.35	173.00	*
			305.38			305.38	
कुल-ख (ङ)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा							
		31.28	47.65	-	125.35	173.00	*
			305.38			305.38	
(च) समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा-							
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	452.05	543.04 \$	-	509.70	1,052.74	(+) ¹³
			2,777.63			2,777.63	
4236-	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	16.45	36.25	-	26.87	63.11 \$	(+) ⁶³
			370.83			370.83	
कुल-ख (छ)-समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा							
		468.50	579.29 \$	-	536.57	1,115.86 #	(+) ¹⁵
			3,148.46			3,148.46	

(#) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाने के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ख- समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
4250-	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	16.07	21.93 \$	-	15.97	37.90	(-)01
			372.61			372.61	
	कुल-ख(ज)-अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	16.07	21.93 \$	-	15.97	37.90	(-)01
			372.61			372.61	
	कुल-ख-समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	2,492.57	3,985.50	-	2,722.61	6,708.11 ^	(+)09
			29,072.39			29,072.39	
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-							
4401-	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	281.93 \$	578.51	-	362.86	941.37	(+)29
			1,946.40			1,946.40	
4402-	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	2.91	7.60	-	8.50	16.10	*
			390.95			390.95	
4403-	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	129.02	169.52	-	124.39	293.91	(-)04
			371.43			371.43	

(#) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाने के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

(^) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाने के कारण ₹ 0.03 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
4404-	डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			11.56			11.56	
4405-	मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	34.70	41.62 \$	-	31.17	72.78 \$	(-)10
			222.30			222.30	
4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	133.56	161.10	-	127.85	288.94 \$	(-)04
			933.44			933.44	
4408-	खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	97.14 \$	229.18	-	109.25	338.43	(+)12
			3,267.49			3,267.49	
4415-	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	14.92	32.61	-	22.09	54.70	(+)48
			336.08			336.08	
4416-	कृषिगत वित्तीय संस्थानों में निवेश	-	-	-	-	-	-
			#			#	
4425-	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	8.15	11.50	-	10.13	21.63	(+)24
			401.61			401.61	

(# नगण्य ₹ 0.40 लाख मात्र)

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			4.07			4.07	
	कुल-ग(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा	702.33 \$	1,231.64 \$	-	796.24	2,027.88 ^	(+)13
			7,885.33			7,885.33	
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-							
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	2,022.87 \$	2,707.00	-	1,267.65	3,974.65	(-)37
			10,259.36			10,259.36	
	कुल-ग (ख)-ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा	2,022.87 \$	2,707.00	-	1,267.65	3,974.65	(-)37
			10,259.36			10,259.36	
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-							
4575-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			3,688.82			3,688.82	
	कुल-ग(ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा	-	-	-	-	-	-
			3,688.82			3,688.82	

(*) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ₹ 0.02 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-							
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	10.92	14.96	-	16.71	31.67	(+)53
			1,257.66			1,257.66	
4702-	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	37.37	97.25	-	62.64	159.90 \$	(+)68
			2,060.63			2,060.63	
4705-	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	16.59	20.38	-	17.15	37.52 \$	(+)03
			322.06			322.06	
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	82.85 \$	156.67	-	45.87	202.54	(-)45
			1,696.00			1,696.00	
	कुल-ग(घ)-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा	147.73 \$	289.26	-	142.37	431.63	(-)04
			5,336.35			5,336.35	
(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-							
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	589.57 \$	774.78 \$	-	1,230.00	2,004.78	*
			14,212.80			14,212.80	
	कुल-ग(ङ)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	589.57 \$	774.78 \$	-	1,230.00	2,004.78	*
			14,212.80			14,212.80 (क)	

(क) सरकार द्वारा सूचित पिछले वृद्धिपूर्ण वर्गीकरण के ठीक करने के कारण 31 मार्च 2013 तक शेष में ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि का प्रोफॉर्म कम किया गया।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(च) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-							
4851-	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	156.14	292.05	-	125.31 ^	417.35 \$	(-)20
			1,818.59			1,818.59	
4852-	लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	5.40	8.09 \$	-	2.71	10.80	(-)50
			209.24			209.24	
4853-	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2.22	4.22	-	1.20	5.41 \$	(-)46
			77.70			77.70	
4854-	सीमेन्ट और अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			0.24			0.24	
4858-	अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			1.25			1.25	
4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			31.34			31.34	

(^) मशीन पूर्णांकन तथा क्रमशः विवरण संख्या 4 तथा 5 में अपनाए गए आँकड़ों के कारण विवरण संख्या 4 "कार्य द्वारा व्यय" में अपनाए गए आँकड़ों से ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(छ) उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
4875-	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			0.06			0.06	
4885-	उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			42.73			42.73	
	कुल-ग(छ)-उद्योगों एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा	163.76	304.36 \$	-	129.22 ^	433.58 #	(-21)
			2,181.15			2,181.15	
(ज) परिवहन का पूँजीगत लेखा-							
5054-	सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	2,543.13	3,145.43	-	2,612.67	5,758.10	(+03)
			13,708.19			13,708.19	
5055-	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	84.73	142.78	-	54.90	197.69 \$	(-35)
			263.25			263.25	
5056-	अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			27.74			27.74	
	कुल-ग(ज)- परिवहन का पूँजीगत लेखा	2,627.86	3,288.21	-	2,667.57	5,955.78 #	(+02)
			13,999.18			13,999.18	

(^) मशीन पूर्णांकन तथा क्रमशः विवरण संख्या 4 तथा 5 में अपनाए गए आँकड़ों के कारण विवरण संख्या 4 "कार्य द्वारा व्यय" में अपनाए गए आँकड़ों से ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(#) विवरण में अपनाए गए मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.02 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(जारी)							
(ज) संचार का पूँजीगत लेखा-							
5275-	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-	-
			0.02			0.02	
	कुल-ग(ज)-संचार का पूँजीगत लेखा	-	-	-	-	-	-
			0.02			0.02	
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-							
5425-	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत	24.23	27.01	-	52.61	79.62	*
			159.34			159.34	
	कुल-ग(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा	24.23	27.01	-	52.61	79.62	*
			159.34			159.34	
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-							
5452-	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	76.57	179.95	-	133.97	313.92	(+75)
			2,284.78			2,284.78	
5465-	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-	-	-
			608.19			608.19	(ख)

(ख) राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत विनिवेश के कारण 31 मार्च 2010 तक शेष में ₹ 28.10 करोड़ की राशि का प्रोफार्मा कम किया गया।

(घ) विवरण में अपनाए गए मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2021 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)							
ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-(समाप्त)							
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	846.68	1,595.07	-	1,245.77 [^]	2,840.84	(+)47
			5,496.23			5,496.23	
	कुल-ग(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	923.25	1,775.02	-	1,379.74 [^]	3,154.76	(+)49
			8,389.20			8,389.20	
	कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	7,201.57	10,397.26 \$	-	7,665.40	18,062.66	(+)06
			66,111.55			66,111.55	
	कुल योग	10,470.38	15,892.57 \$	-	11,047.04 *	26,939.61 #	(+)06
			103,000.76			1,03,000.76 (ग)	

(H) विवरण में अपनाए गए मशीन पूर्णांकन के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता

(*) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 4-बी "प्रकृति अनुसार व्यय" में अपनाए गए आँकड़ों के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता।

(*) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 4-ए "प्रकृति अनुसार व्यय" में अपनाए गए आँकड़ों के कारण ₹ 0.01 करोड़ तक की कुल वास्तविक भिन्नता।

(ग) पूँजीगत विनिवेश और पिछले गलत वर्गीकरण के कारण वर्ष के अंत तक खर्च से प्रोफॉर्म घटाकर क्रमशः ₹ 28.10 करोड़ की राशि और ₹ 167.00 करोड़ की राशि को कम कर दिया गया है। इस विवरण हेतु कृपया मुख्य शीर्ष 5465 और 4801 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (क) और (ख) का भी संदर्भ लें।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(झ) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020, 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न समुदायों की शेयर पूँजी में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 81.12 करोड़, ₹ 224.85 और ₹ 573.01 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 तक ₹ 4,620.16 करोड़ का निवेश भी था जिसे अभी तक नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020, 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी लेखे में कोई लाभांश जमा नहीं किया था। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के पैरा 3 (ix) (क), (ख), (ग) का संदर्भ लें।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(समाप्त)

नवीनतम प्रोफार्मा लेखा द्वारा प्रकटित लेखा के पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के कामकाज के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:-

प्रोफार्मा लेखे- प्रत्येक उपक्रम के सामने दर्शायी गयी अवधियों के लिए विभागीय अधिकारियों से अभी तक (जुलाई 2022) नीचे उल्लिखित उपक्रमों के अंतर्गत प्रोफार्मा लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं-

लेखा का मुख्य शीर्ष	उपक्रम का नाम	अवधि जिसके लिए देय है
4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	1 सरकारी मुद्रणालय, श्रीनगर	1968-69 और (जुलाई 2022) उसके बाद
	2 सरकारी मुद्रणालय, जम्मू	1968-69 और (जुलाई 2022) उसके बाद
4408- खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	1 उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, श्रीनगर	1975-76 (परिशोधित लेखा) और (जुलाई 2022) उसके बाद
	2 उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, जम्मू	1973-74 से 1997-98 और 1999-2000 और उसके बाद। तथापि, वर्ष 1998-99 के प्रोफार्मा लेखाओं को वर्ष 2002-03 (जुलाई 2022) के दौरान अंतिम रूप दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) राशि	के दौरान प्रतिशत	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
क लोक ऋण-								
	(₹ करोड़ में)							
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण[1]	10,562.20	-	50,199.86	41,455.99	19,306.07 @	(+),8,743.87	(+),83	(+),66
	45,429.09				45,429.09			
बाजार ऋण	9,435.22	-	8,562.00	2,975.00	15,022.22	(+),5,587.00	(+),59	(+),51
	34,290.80				34,290.80			
डब्ल्यूएमए[2]	1,784.54	-	36,103.03	37,388.03	499.54	(-),1,285.00	(-),72	(+),02
	692.11				692.11			
बंधपत्र	-	-	-	214.00	(-),214.00 #	(-),214.00	*	(-),01
	3,537.55				3,537.55			
वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-),92.25	-	534.83	530.31	(-),87.73 #	(+),4.52	(+),05	^
	3,538.31				3,538.31			
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-),565.31	-	5,000.00	348.65	4,086.04	(+),4,651.36	\$	(+),14
	3,370.32				3,370.32			

[1] ब्योरे विवरण सं. 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।

[2] डब्ल्यूएमए: अर्थोपाय अधिम

(@) विवरण संख्या 1 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

(#) 30.10.2019 (पुनर्गठन पूर्व) को गैर-प्रभाजन के कारण पूरे विवरण में ऋणात्मक शेष

(*) पूरे विवरण में लागू नहीं

(^) पूरे विवरण में नगण्य

(\$) पूरे विवरण में 100 प्रति शत से अधिक

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

(बोर्ड में ऑकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आर्बिटिट राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
(₹ करोड़ में)								
6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-	2,105.44	-	3,845.49	119.19 **	5,831.74 @	(+),3,726.30	\$	(+),20
	1,237.13	-	-	-	1,237.13	-	-	-
गैर-नियोजित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.29	-	-	-	96.29	-	-	-
आयाजना याजनाआ हेतु राज्य/ सघ शासत क्षेत्र हेत ऋण	(-),175.81	-	-	117.92	(-),293.73 #	(-),117.92	(+),67	(-),01
	1,055.02	-	-	-	1,055.02	-	-	-
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	*
	47.04	-	-	-	47.04	-	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण	2,281.25	-	3,845.49	1.27	6,125.47	(+),3,844.22	*	(+),21
	38.78	-	-	-	38.78	-	-	-
कुल लोक ऋण	12,667.64	-	54,045.35	41,575.18 **	25,137.81 @	(+),12,470.17	(+),98	(+),86
	46,666.22				46,666.22			

(**) विवरण संख्या 2 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ऑकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

(@) विवरण संख्या 1 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ऑकड़ों में ₹ 0.02 करोड़ की भिन्नता

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण -(समाप्त)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) राशि	के दौरान प्रतिशत	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में
(₹ करोड़ में)								
ख अन्य देयताएं-								
लोक लेखा-								
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,185.97	-	6,023.99	6,618.55	1,591.41	(-)594.56	(-)27	(+)05
	27,161.62				27,161.62			
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	780.89	-	361.23 **	268.26	873.86	(+)92.97	(+)12	(+)03
	1,260.62				1,260.62			
ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	(-)9.76	-	71.67 **	15.64	46.27	(+)56.03	\$	^
	1,533.95				1,533.95			
ब्याज वहन करने वाली जमाएं	474.73 #	-	1,595.68	1,574.90 **	495.51 @	(+)20.77	(+)04	(+)02
	53.67				53.67			
ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	880.79	-	2,686.56	2,376.83 **	1,190.52 @	(+)309.73	(+)35	(+)04
	6,860.56				6,860.56			
कुल अन्य देयताएं	4,312.62 #	-	10,739.13	10,854.18	4,197.57	(-)115.05	(-)03	(+)14
	36,870.42				36,870.42			
कुल लोक ऋण और अन्य देयताएं	16,980.26 #	-	64,784.48	52,429.36	29,335.38 ***	(+)12,355.11	(+)73	(+)100
	83,536.64				83,536.64			

ऋण परिशोधन प्रबंधों, ऋण सेवा इत्यादि व्याख्यात्मक नोट को इस विवरण के पृष्ठ संख्या 34,35 तथा 36 पर देखा जा सकता है।

(**) विवरण संख्या 2 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

(@) विवरण संख्या 1 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

#) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

(***) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 17 (₹ 29,33,541.52 लाख) में अपनाए गए आँकड़ों से ₹ 0.04 करोड़ की भिन्नता। आगे, भारत सरकार द्वारा जीएसटी प्रतिकर के बदले में एक के बाद एक मोचित ऋणों के रूप में ₹ 5,945.29 करोड़ सम्मिलित हैं।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1 परिशोधन व्यवस्थाएं -

सरकार ने भारत सरकार से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई परिशोधन व्यवस्था नहीं बनायी है।

2 लघु बचत कोष से ऋण -

डाकघरों में "लघु बचत योजनाओं" और "लोक भविष्य निधि" में संग्रहण में से ऋणों को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच 3:1 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। लघु बचत संग्रहणों से ऋण जारी करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि अर्थात् "राष्ट्रीय लघु बचत कोष" बनाया गया था। 30 अक्टूबर 2019 के अंत में तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित बकाया शेष ₹ 3,370.32 करोड़ था जिसे अभी भी उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है और इसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित जम्मू एवं कश्मीर द्वारा ₹ 5,000.00 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी थी, तथापि, सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 (पुनर्गठन पश्चात) की अवधि हेतु निधि के अन्तर्गत ₹ 4,086.04 करोड़ का शेष छोड़ते हुए इस अवधि के दौरान ₹ 348.65 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया।

3 भारत सरकार से ऋण और अग्रिम:-

विवरण संख्या 17 में ब्योरा दिया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार को चुकाने के लिए ₹ 174.91 करोड़ (मूलधन ₹ 119.18 करोड़ और ब्याज ₹ 55.73 करोड़) की राशि देय हो गई। ₹ 174.91 करोड़ की कुल राशि के प्रति, पूरी राशि (मूलधन ₹ 119.18 करोड़ और ब्याज ₹ 55.73 करोड़) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान सीधे वसूली के रूप में समायोजित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2021-22 (31.03.2022 की समाप्ति) के अंत में केन्द्र सरकार से ऋणों पर कोई राशि अतिदेय नहीं थी।

4 संघ शासित क्षेत्र सरकार का आंतरिक ऋण :- इसमें खुले बाजार से लिये गये दीर्घकालिक ऋण, स्वायत्त निकायों से सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन अंतराल और ऋणों को पूरा करने के लिए अस्थायी प्रकार की उधारी सम्मिलित है।

(i) खुला बाजार ऋण:- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये सभी ऋण जिनका चलन एक वर्ष से अधिक है, ऋण की इस श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत किये जाते हैं।

(ii) विभिन्न बकाया ऋणों का पूरा ब्योरा विवरण संख्या 17 और विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण -(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

5 ऋण-सेवा-

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तथा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

	2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	2020-21 (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) (₹ करोड़ में)
(i) वर्ष के अंत में सकल ऋण और अन्य बकाया देयताएं-			
(क) सार्वजनिक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	26,729.22	14,853.61	(+)11,875.61
	73,827.84	73,827.84	
(ख) अन्य देयताएं	2,606.16	2,126.65 ^	(+)479.51
	9,708.80	9,708.80	
	29,355.38	16,980.26 ^	(+)12,355.12
कुल (i)	83,536.64	83,536.64	
(ii) सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज-			
(क) लोक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि पर	7,087.50	6,193.18	(+)894.32
(ख) अन्य देयताओं पर	272.81	179.28	(+)93.53
कुल (ii)	7,360.31	6,372.46	(+)987.85
(iii) कटौती-			
(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	0.13	0.12	(+)0.01
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूला गया ब्याज	-	0.11	(-)0.11
कुल (iii)	0.13	0.23	(-)0.10
(iv) निवल ब्याज प्रभार	7,360.18	6,372.23	(+)987.95

(^) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण- (समाप्त)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

5 ऋण-सेवा- (समाप्त)

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तथा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

	2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	2020-21 (31 मार्च 2022 की समाप्ति)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) (₹ करोड़ में)
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (ii)} का प्रतिशत	12.42	12.14	(+0.28
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (iv)} का प्रतिशत	12.42	12.14	(+0.28

इसके अलावा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य से प्राप्त ब्याज जैसे कुल ₹ 16.41 करोड़ की कुछ अन्य प्राप्तियाँ और समायोजन भी थे। यदि इनकी भी कटौती की जाती है, तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 7,343.90 करोड़ होगा जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 12.40 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार को विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश रूप में शून्य प्राप्त हुआ।

6 ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग

सरकार ने 2011-12 से ऋण शोधन निधि की स्थापना की और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 45.00 करोड़ की राशि इस निधि में हस्तांतरित की गयी है।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण

अनुभाग:1 ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार									
(बोल्ड में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक यूटी जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)									
क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2022 को शेष (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान	बकायों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(₹ करोड़ में)
सामान्य सेवाएं-									
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल- सामान्य सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समाज सेवाएं-									
विश्वविद्यालय/ अकादमिक संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.74	-	-	-	-	-	-	-	सरकार से
शहरी विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	12.74	-	-	सूचना
	1.91	-	-	-	-	-	-	-	प्रतीक्षित
आवास बोर्ड	-	-	-	-	-	1.91	-	-	(जुलाई 2022)
	2.90	-	-	-	-	-	-	-	
राज्य आवास निगम	-	-	-	-	-	2.90	-	-	
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) व्योरे हेतु कृपया खण्ड II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।

(क) विवरण में बकायों में पुनर्भुगतान का व्योरा सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)									
(बोल्ड में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक यूटी जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)									
क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2022 को शेष (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान	बकायों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(₹ करोड़ में)
सामान्य सेवाएं-									
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	0.53	-	-	0.21	-	0.32	(-).0.21		
	128.93					128.93			
कुल- समाज सेवाएं	0.53	-	-	0.21	-	0.32	(-).0.21		
	146.48					146.48			
आर्थिक सेवाएं-									
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.01					0.01			
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	सरकार से
शहरी विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	सूचना
	-	-	-	-	-	-	-	-	प्रतीक्षित
सांविधिक निगम	55.50	-	40.00	-	-	95.50	(+)40.00	(जुलाई 2022)	
	411.23					411.23			
सरकारी कंपनियाँ	40.13	-	33.77	0.01	-	73.89	(+)33.76		
	495.80					495.80			

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)								
(बोल्ड में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक यूटी जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)								
क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2022 को शेष (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)	बकार्यों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ करोड़ में)								
आर्थिक सेवाएं-								
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.77					9.77		
अन्य	(-)0.03	-	-	0.02	-	(-)0.05	(-)0.02	
	655.58					655.58		
कुल- आर्थिक सेवाएं	95.60	-	73.77	0.03	-	169.34	(+)73.74	
	1,572.39					1,572.39		
सरकारी सेवक-								
सरकारी सेवक	(-)0.63 ^	-	-	0.78	-	(-)1.40 ^	(-)0.78	
	21.57					21.57		सरकार से
कुल- सरकारी सेवक	(-)0.63 ^	-	-	0.78	-	(-)1.40 ^	(-)0.78	सूचना
	21.57					21.57		प्रतीक्षित
कुल- ऋण और अग्रिम	95.50 ^	-	73.77	1.02 #	-	168.26 ^	(+)72.74	(जुलाई 2022 में)
	1,740.44					1,740.44 (\$)		

(\$) कृपया मुख्य शीर्ष-6801 विवरण संख्या 18 खण्ड-II के नीचे की पाद टिप्पणी 'ए' का संदर्भ लें। मुख्य शीर्ष-4801 विवरण संख्या 16 खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी 'ए' का भी संदर्भ लें।

(^) विवरण संख्या 7 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

(#) मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 2 में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण- (जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)								
(बोल्ड में आँकड़े 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक यूटी जम्मू एवं कश्मीर में अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)								
क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2022 को शेष (2+4)-(5+6)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशत की वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ करोड़ में)								
निम्नलिखित ऋण के मामले "शाश्वत रूप से ऋण" के रूप में संस्वीकृत किये गये हैं								
क्र. सं.	ऋणी अधिष्ठान	संस्वीकृति का वर्ष	संस्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर			

सरकार से आँकड़े/ सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022)।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बड़े खाते में डालना	31 मार्च 2022 को शेष (2+4)-(5+6)	2021-22 के दौरान वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ करोड़ में)								
च - ऋण और अग्रिम-[1]								
ख- समाज सेवा हेतु ऋण-								
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	(-)0.14	-	-	0.12	-	(-)0.26	(-)0.12	
	5.46					5.46		
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(-)0.04	-	-	0.03	-	(-)0.07	(-)0.03	
	1.93					1.93		
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	(-)0.01	-	-	0.01	-	(-)0.02	(-)0.01	सरकार से
	35.30					35.30		
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	सूचना प्रतीक्षित
	0.13					0.13		(जुलाई
समाज कल्याण और पोषण	0.72	-	-	0.05	-	0.67	(-)0.05	2022)
	103.53					103.53		
अन्य समाज सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	
	0.13					0.13		
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-								
कृषि और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण	(-)0.03	-	-	0.02	-	(-)0.05	(-)0.02	
	40.65					40.65		

[1] ब्योरे के लिए विस्तृत विवरण संख्या 18 खण्ड-II के अनुभाग 1 का संदर्भ लें।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बड़े खाते में डालना	31 मार्च 2022 को शेष (2+4)-(5+6)	2021-22 के दौरान वृद्धि/ कमी (7-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(₹ करोड़ में)								
च - ऋण और अग्रिम-(समाप्त)								
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)								
ग्रामीण विकास हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.05					0.05		
विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.43					1.43		सरकार से
ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	सूचना
	85.05					85.05		
उद्योग और खनिजों हेतु ऋण	40.13	-	33.77	0.01	-	73.89	(+)33.76	प्रतीक्षित
	799.63					799.63		(जुलाई
परिवहन	55.50	-	40.00	-	-	95.50	(+)40.00	2022)
	610.62					610.62		
सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
	34.96					34.96		
सरकारी सेवक	(-)0.63 ^	-	-	0.78	-	(-)1.40 ^	(-)0.78	
	21.57					21.57		
कुल	95.50 ^	-	73.77	1.02 \$	-	168.26 #	(+)72.74	
	1,740.44					1,740.44		

(\$) मशीन पूर्णांकन के अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(#) विवरण संख्या 7 में मशीन पूर्णांकन के अपनाए जाने के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वास्तविक भिन्नता।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग: 3 ऋणों और अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार

ऋणी-अधिष्ठान	31 मार्च 2022 को बकायों की राशि			पूर्व अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2022 को अधिष्ठान के प्रति कुल बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
	मूलधन	ब्याज	कुल		

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022)

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों का विवरण-(समाप्त)

अनुभाग: 3 ऋणदाता अधिष्ठान से बकायों में चुकौती का सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

(क) कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित ब्योरेवार ऋण लेखे:- सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों के संबंध में, जिनके विस्तृत लेखे लेखा कार्यालय में रखे जाते हैं, 2021-22 (31 मार्च 2021 की समाप्ति) के अंत में कुल मूलधन ₹ 11.54 करोड़ के रूप में बकाया था, जैसा कि नीचे वर्णित है।

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	31.03.2022 को बकाया	
		मूलधन	ब्याज
1	7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि		
	201- गृह निर्माण अग्रिम (क)	-	-
		10.51	0.39
	202- मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	-	-
		1.03	0.04
		कुल	-
		11.54	0.43

(क) हालांकि आवास निर्माण अग्रिमों के ब्योरेवार लेखे प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में रखे जाते हैं, कम/ मध्यम आय समूह आवास योजनाओं हेतु ऋणों के ब्योरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं।

8. सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2020-21 2021-22 हेतु विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश						
(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रभाजित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के निवेशों को दर्शाते हैं)						
(₹ करोड़ में)						
क्र. सं. समुद्यम का नाम (क)	2021-22 (31-03-2022 की समाप्ति)			2020-21 (31-03-2021 की समाप्ति)		
	समुद्यमों की संख्या	31 मार्च 2022 के अंत में निवेश	2021-22 के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश	समुद्यमों के नाम	31 मार्च 2021 के अंत में निवेश	2020-21 के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश
1 सांविधिक निगम	2 (ख)	191.90	शून्य	3	138.78	शून्य
	3	368.31 (ग)		3	374.34	
2 ग्रामीण बैंक	2	2.35	शून्य	2	2.35	शून्य
	2	45.82		2	45.82	
3 सरकारी कंपनियाँ	39 (ख)	445.03	शून्य	38	161.64 (घ)	शून्य
	37	4,157.86 (घ)		37	4,148.83	
4 अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी	2	-	शून्य	2	-	शून्य
	2	0.34		2	0.34	
5 सहकारी बैंक और स्थानीय निकाय	8	239.85 (घ)	शून्य	8	3.35	शून्य
	8	47.83 (घ)		8	47.83	
कुल	53	879.13 (ङ)	शून्य	53	306.12 (घ)	शून्य
	52	4,620.16 (च)		52	4,617.16	

(क) कृपया ब्यारे हेतु कृपया खण्ड-II में विवरण सं 19 का सदर्थ लें।

(ख) जेएण्डके राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 को हटाए जाने के पश्चात, दिसंबर 2020 में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जेएण्डके राज्य वन निगम को जेएण्डके वन विकास निगम लिमिटेड (सरकारी कम्पनी) के रूप में निगमित किया गया है। अतः अब वैधानिक

निगमों की संख्या को कम करके 03 से 02 किया गया है तथा सरकारी कम्पनियों को बढ़ाकर 38 से 39 किया गया है।

(ग) वर्ष 2020-21 के वित्त लेखा में दर्शाई गई राशि से ₹ 6.03 करोड़ (वैधानिक निगम की सूची से जेएण्डके राज्य वन निगम के हटाए जाने के कारण ऋणात्मक ₹ 9.03 करोड़ जैसा कि इसे दिसंबर 2020 में कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी के रूप में जेएण्डके राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 को हटाने के पश्चात "जेएण्डके वन विकास निगम" के नाम से निगमित किया गया है जेएण्डके सड़क परिवहन निगम द्वारा नवीनतम प्रदत्त सूचना के कारण ₹ 3.00 करोड़ की धनात्मक राशि) की भिन्नता।

(घ) चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च 2021 की समाप्ति की अवधि हेतु प्रदत्त नवीनतम आँकड़ों के कारण ₹ 143.73 करोड़ तक वृद्धि

(ङ) वैधानिक निगम की सूची से जेएण्डके राज्य वन निगम के हटाए जाने के कारण ₹ 9.03 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा कि इसे दिसंबर 2020 में कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी के रूप में जेएण्डके राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 को हटाने के पश्चात "जेएण्डके वन विकास निगम" के नाम से निगमित किया गया है।

(च) आँकड़े सरकार एवं संबंधित पीएसयू के अंतर्गत मिलानाधीन (जुलाई 2022) हैं।

(छ) जेएण्डके सड़क परिवहन निगम द्वारा 30.10.2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त अवधि हेतु प्रदत्त संशोधित आँकड़ों के कारण ₹ 3.00 करोड़ तक वृद्धि

9. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण

क. वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उठाये गये एवं ऋणों इत्यादि के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2021 को बकाया प्रत्याभूतित राशियाँ नीचे दी गयी हैं:-

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक की बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूतित अधिकतम		01 अप्रैल 2021 के आरंभ में बकाया		वर्ष के दौरान अतिरिक्त		वर्ष के दौरान लोप		वर्ष के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2022 के अंत में बकाया (क)		प्रत्याभूति कमीशन या शुल्क (ख)		अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
1	विद्युत (3)*	12,234.30	-	7,551.95 (ग)	-	4,309.59	-	(-)329.88	-	-	-	11,531.66	-	-	-	-
		653.70		229.31								229.31				
2	सहकारी (6)*	-	-	- (घ)	-	-	-	(-)4.00	-	-	-	(-)4.00	-	-	-	-
		102.16		35.37 (घ)								35.37				
3	राज्य वित्तीय निगम (1)*	-	-	(-)4.13	-	4.05	-	-	-	-	-	(-)0.08	-	-	-	-
		50.00		45.03								45.03				
4	अन्य संस्थान (7)*	1,215.19	-	(-)3.85 (ड)	-	814.18	-	(-)9.11	-	-	-	801.22	-	-	-	-
		103.08		142.94	1.65							142.94	1.65			
5	कुल (17)*	13,449.49	-	7,543.97	-	5,127.82	-	(-)342.99	-	-	-	12,328.80 (च)	-	-	-	-
		908.94		452.65 (घ)	1.65							452.65 (घ)	1.65			

(*) कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े संस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।

(क) संघ शासित क्षेत्र बजट 2021-22 में दर्शाये गये 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूतियों की राशि विवरण में दर्शायी गयी राशि से भिन्न है। मामला संघ शासित क्षेत्र सरकार सहित संबंधित एजेंसियों के साथ पत्राचाराधीन है, विवरण प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।

(ख) वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कोई कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया था।

(ग) जेकेपीसी (ट्रेडिंग) द्वारा प्रदत्त सूचना के कारण ₹ 6,012.24 करोड़ की वृद्धि

(घ) ₹ 0.58 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह 30 अक्टूबर 2019 (पूर्व पुनर्गठन) की अवधि से संबंधित है। तदनुसार, पूर्व पुनर्गठन से संबंधित आँकड़ों को उस सीमा तक बढ़ाया गया है।

(ड) जेकेडबल्यूडीसी द्वारा प्रदत्त नवीनतम सूचना के कारण ₹ 46.25 करोड़ की वृद्धि

(च) कृपया ब्यांरे के लिए खण्ड-II विवरण संख्या 20 का सन्दर्भ लें।

10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण

(i) रोकड़ में प्रदत्त सहायता-अनुदान						
अनुदानग्राही का नाम/ श्रेणी	अनुदान सहायता के रूप में निर्माचित कुल निधियाँ			कॉलम (नंबर 2) # में दर्शायी गयी कुल निर्गत निधियों में से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियाँ		
	2021-22			2021-22		
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/सीएस सहित)	कुल
1	2			3		
(₹ करोड़ में)						
1 शहरी स्थानीय निकाय-						
(i) नगर निगम	388.44	-	388.44	-	-	-
(ii) नगर पालिकार्ये/ नगर परिषद	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य	256.03	-	256.03	-	-	-
2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम -						
(i) सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-
(ii) सांविधिक निगम	1,363.23	-	1,363.23	-	-	-
3 स्वायत्त निकाय-						
(i) विश्वविद्यालय	926.18	-	926.18	-	-	-
(ii) विकास प्राधिकरण	71.08	-	71.08	-	-	-
(iii) सहकारी संस्थान	4.50	-	4.50	-	-	-
(iv) अन्य	-	-	-	-	-	-
4 गैर-सरकारी संगठन	2.73	-	2.73	-	-	-
5 अन्य	511.44	1,347.22	1,858.66	-	-	-
कुल	3,523.63	1,347.22	4,870.85	\$	-	-

संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।

\$ पूँजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 63.60 करोड़ सम्मिलित हैं। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-1 के पैरा 3 (ii) का संदर्भ लें।

(ii) विभिन्न रूप से दिया गया सहायता अनुदान

विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदान के संबंध में संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	वास्तविक			वास्तविक		
	2021-22			2020-21		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	7,441.87	51,827.46	59,269.33 #	6,440.97	46,192.78	52,633.75
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-	11,047.04	11,047.04 \$	-	10,470.38	10,470.38
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अंतर्राज्यीय निपटारा और आकस्मिकता निधि						
में अंतरण के अंतर्गत संवितरण (क)	41,575.17 ^	73.77	41,648.94	33,563.32	86.64	33,649.96
कुल	49,017.04	62,948.27	1,11,965.31	40,004.29	56,749.80	96,754.09
ड. लोक ऋण-						
यूटी सरकार का आंतरिक ऋण	41,455.99	-	41,455.99	33,444.98	-	33,444.98
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	119.18 ^	-	119.18	118.34	-	118.34
च. ऋण और अग्रिम-						
सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-
समाज सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-	-	1.00	1.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	-	73.77	73.77	-	60.64	60.64
सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि	-	-	-	-	-	-
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-

(क) खण्ड-II के विवरण संख्या 17 और 18 में विस्तृत लेखा दिया गया है।

(#) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 4-बी "प्रकृति अनुसार व्यय" में लिए गए आँकड़ों से ₹ 0.03 करोड़ की भिन्नता।

(\$) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 4-बी "प्रकृति अनुसार व्यय" में लिए गए आँकड़ों से ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(^) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 6 में लिए गए आँकड़ों से ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण-(समाप्त)

विवरण	वास्तविक			वास्तविक		
	2021-22			2020-21		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल	प्रभारित	दत्तमत	कुल
						(₹ करोड़ में)
झ. अंतर्राज्यीय निपटारा-						
अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-
ज. आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण-						
आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण	-	0.00		-	25.00	25.00
(i) 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान कुल व्यय के लिए दत्तमत व्यय और प्रभारित व्यय का प्रतिशत इस प्रकार था :-						
	कुल व्यय का प्रतिशत					
	वर्ष	प्रभारित	दत्तमत			
	2020-21	41.35	58.65			
	2021-22	43.78	56.22			

12. वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2021	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2021-22	31 मार्च 2022 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
लोक निर्माण	978.78	-	534.80	1,513.58
	6,153.33			6,153.33
अन्य सामान्य सेवाएं	531.02 ^	-	124.23	655.25
	1,663.49			1,663.49
समाज सेवाएं-				
शिक्षा खेल, कला और संस्कृति	844.58	-	572.31	1,416.89
	6,982.53			6,982.53
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	926.09	-	636.79	1,562.87 ^
	4,914.19			4,914.19
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,565.19 ^	-	835.40	2,400.60 ^
	13,315.73			13,315.73
सूचना एवं प्रसारण	0.79	-	0.22	1.01
	33.49			33.49
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	47.65	-	125.35	173.00
	305.38			305.38
समाज कल्याण और पोषण	579.28	-	536.57	1,115.85
	3,148.46			3,148.46
अन्य समाज सेवाएं	21.93 ^	-	15.97	37.90
	372.61			372.61
कुल- समाज सेवाएं	3,985.51	-	2,722.61	6,708.12 #
	29,072.39			29,072.39

(^) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण पूरे विवरण में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(#) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 5 में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01 की भिन्नता।

12. वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2021	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2021-22	31 मार्च 2022 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1,231.63	-	796.23	2,027.87 ^
	7,885.33			7,885.33
ग्रामीण विकास	2,707.00	-	1,267.65	3,974.65
	10,259.36			10,259.36
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
	3,688.82			3,688.82
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	289.26	-	142.37	431.63
	5,336.35			5,336.35
ऊर्जा	774.78 ^	-	1,230.00	2,004.78
	14,212.80			14,212.80 (क)
उद्योग और खनिज	304.35	-	129.21	433.56
	2,181.15			2,181.15
परिवहन	3,288.21	-	2,667.58	5,955.79
	13,999.18			13,999.18
संचार	-	-	-	-
	0.02			0.02
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	27.01	-	52.61	79.62
	159.34			159.34

(क) कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 तथा 5465 के नीचे पाद टिप्पणी का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2021	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2021-22	31 मार्च 2022 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
आर्थिक सेवाएं-				
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,775.02	-	1,379.74	3,154.76
	8,389.20			8,389.20 ^(क)
कुल- आर्थिक सेवाएं	10,397.26 [^]	-	7,665.39	18,062.66 [#]
	66,111.55			66,111.55 ^(क)
कुल-पूँजीगत सेवाएं	15,892.58	-	11,047.04 [*]	26,939.61 [^]
	1,03,000.76			1,03,000.76 ^(क)
ऋण और अग्रिम-				
समाज सेवाएं-				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	(-)0.14	-	(-)0.12	(-)0.26
	5.46			5.46
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(-)0.04	-	(-)0.03	(-)0.07
	1.93			1.93
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	(-)0.01	-	(-)0.01	(-)0.02
	35.30			35.30
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-
	0.13			0.13

(क) कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 तथा 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

(#) विवरण संख्या 12 में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण वास्तविक कुल में ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता।

(*) विवरण संख्या 4-बी में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण आँकड़ों में ₹ 0.01 की भिन्नता।

12. वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2021	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2021-22	31 मार्च 2022 को
	(₹ करोड़ में)			
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)				
समाज सेवाएं-(समाप्त)				
समाज कल्याण और पोषण	0.72	-	(-)0.05	0.67
	103.53			103.53
अन्य समाज सेवाएं	-	-	-	-
	0.13			0.13
कुल- समाज सेवाएं	0.53	-	(-)0.21	0.32
	146.48			146.48
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	(-)0.03	-	(-)0.02	(-)0.05
	40.65			40.65
ग्रामीण विकास	-	-	-	-
	0.05			0.05
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
	1.43			1.43
ऊर्जा	-	-	-	-
	85.05			85.05 (ख)
उद्योग और खनिज	40.13	-	33.76	73.89
	799.63			799.63
परिवहन	55.50	-	40.00	95.50
	610.62			610.62

(ख) कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2021	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2021-22	31 मार्च 2022 को
	(₹ करोड़ में)			
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)				
आर्थिक सेवाएं-(समाप्त)				
सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-
	34.96			34.96
कुल- आर्थिक सेवाएं	95.60	-	73.74	169.34
	1,572.39			1,572.39
सरकारी सेवकों को ऋण	(-)0.63 ^	-	(-)0.78	(-)1.40 ^
	21.57			21.57
कुल-ऋण और अग्रिम	95.50 ^	-	72.75	168.26 ^
	1,740.44			1,740.44 (ख)
आकस्मिकता निधि में अंतरण	-	-	-	-
कुल-पूँजीगत और अन्य व्यय	15,988.09	-	11,119.79	27,107.87 ^
	1,04,741.20			1,04,741.20
कटौती				
आकस्मिकता निधि से अंशदान	-	-	-	-
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	-	-	-	-
	28.10			28.10
विकास निधियों, आरक्षित निधियों इत्यादि से अंशदान	-	-	-	-
निवल- पूँजीगत और अन्य व्यय	15,988.09 ^	-	11,119.79	27,107.87 ^
	1,04,713.10			1,04,713.10

(ख) कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

(#) मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 2 में दर्शाए गए आँकड़ों के संदर्भ में ₹ 0.01 की भिन्नता।

12. वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2021	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2021-22	31 मार्च 2022 को
(₹ करोड़ में)				
निधियों के प्रधान स्रोत-				
2020-21 हेतु राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)				
जोड़-सेवानिवृत्ति/ विनिवेश के कारण समायोजन	-	-	(-)30.82 #	-
	(-)28.10			(-)28.10
ऋण-				
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	10,562.20	-	8,743.87	19,306.07 #
	45,429.09			45,429.09
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	2,105.44	-	3,726.30	5,831.74 #
	1,237.13			1,237.13
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,185.97	-	(-)594.56	1,591.41
	27,161.62			27,161.62
कुल- ऋण	14,853.61	-	11,875.61	26,729.22
	73,827.84			73,827.84
अन्य देयताएं-				
आकस्मिकता निधि	25.00	-	-	25.00
	1.00			1.00
आरक्षित निधियाँ	771.13	-	149.00	920.13
	2,805.43			2,805.43
जमाएं एवं अग्रिम	1,355.52 ^	-	330.51	1,686.03 #
	6,901.54			6,901.54

(#) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण विवरण संख्या 1 में दर्शाए गए आँकड़ों से ₹ 0.01 की भिन्नता

12. वर्ष 2021-22 (31 मार्च 2022 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(समाप्त)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

	1 अप्रैल 2021	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	वर्ष के दौरान 2021-22	31 मार्च 2022 को
(₹ करोड़ में)				
निधियों के प्रधान स्रोत-				
अन्य देयताएं-				
उचंत और विविध (सरकारी लेखाओं और रोकड़ शेष निवेश लेखा में संवृत राशि के अलावा)	121.15	-	128.23	249.38
	(-349.24)			(-349.24)
प्रेषण	634.50	-	(-1,332.82)	(-698.32)
	2,847.49			2,847.49
कुल- अन्य देयताएं	2,907.30 ^	-	(-725.08)	2,182.22
	12,206.22			12,206.22
कुल- ऋण और अन्य देयताएं	17,760.91 ^	-	11,150.53	28,911.44
	86,034.06			86,034.06
कटौती- रोकड़ शेष	1,447.69	-	(-0.04)	1,447.65
	(-441.95)			(-441.95)
कटौती- निवेश	-	-	-	-
	394.78			394.78
वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी खाते में बंद की गई अतिरिक्त राशि	-	-	-	-
	-			-
निधियों का निवल प्रावधान	16,313.22 ^	-	11,119.79	27,463.83 \$
	86,053.13			86,053.13

\$ ₹ 30.82 करोड़ के राजस्व घाटे से ₹ 27,463.83 करोड़ से ₹ 27,433.01 (₹ 16,313.22 करोड़ जमा ₹ 11,119.79 करोड़) की भिन्नता है जो कि विवरण संख्या 2 में मशीन पूर्णांकन के कारण दर्शाए गए ₹ 0.01 से भिन्न है जैसा कि मशीन

पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 2 में दर्शाया गया है। मार्च 2022 के अंत तक की अवधि हेतु पूंजीगत और अन्य व्यय के मध्य ₹ 355.96 करोड़ (विवरण संख्या 1 में दर्शाई गई राशि से ₹ 0.01 करोड़ की भिन्नता) का अंतर भी था और निधियों का

निवल प्रावधान इसलिए, संघीय राजस्व घाटा और संघ शासित क्षेत्र सरकार लेखा में संवृत राशि को दर्शाता है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2022 तक शेषों का सारांश है

(बोर्ड में ऑकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

नाम शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखा का क्षेत्रक	लेखा का नाम	खाते शेष (₹ करोड़ में)
84,340.79 [1] 27,295.58 [1]	क से घ और, थ का भाग (एमएच 8680 मात्र)	समेकित निधि सरकारी लेखा	
	ड	लोक ऋण	25,137.83
	च	ऋण और अग्रिम	46,666.22
168.26 1,740.44 (\$)		आकस्मिकता निधि आकस्मिकता निधि	25.00 1.00
	झ	लोक लेखा लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	1,591.41
	ञ	आरक्षित निधियाँ (i) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ सकल शेष	873.86 1,271.48
- 10.86 (*)		निवेश	
		(ii) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ सकल शेष	46.27 1,533.95
	त	निवेश जमाएं और अग्रिम (i) ब्याज वहन करने वाले जमा	495.51 # 53.67
		(ii) ब्याज वहन न करने वाले जमा	1,190.52 # 6,860.56
- 12.69		(iii) अग्रिम	

[1] कृपया खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 57 को यह समझने के लिए देखें की ये ऑकड़े किस प्रकार आये हैं।

\$ कृपया मुख्य शीर्ष 4801 और 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के और खण्ड-II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।

^ निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (जुलाई 2022) है।

मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 1 में प्रतिबन्धित ऑकड़ों के संबंध में ₹ 0.01 करोड़ से भिन्नता।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(जारी)

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2022 तक शेषों का सारांश है			
(बोर्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)			
नाम शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखा का क्षेत्रक	लेखा का नाम	खाते शेष (₹ करोड़ में)
	ध	उचंत और विविध निवेश	-
383.92 ^			
-		अन्य मद (निवल)	249.38
349.24			
698.32	द	प्रेषण	2,847.49
1,447.65	ध	रोकड़ शेष	
(-)441.95			
29,609.81 #			29,609.78 #
86,395.99		कुल	86,395.99

^ निवेश का ब्यौरा सरकार से प्रतीकित है (जुलाई 2022)।

* जैसा कि रिज़र्व बैंक में जमा राशि के संबंध में जो कि सरकार के रोकड़ शेष का घटक है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताये गये आँकड़ों और लेखाओं में प्रतिबिम्बित आँकड़ों में भिन्नता थी। कृपया पृष्ठ संख्या 7 के विवरण संख्या 2 के अनुलग्नक के अंतर्गत पाद टिप्पणी '@' का सदर्थ लें।

(#) विवरण में मशीन पूर्णांकन के अपनाए जाने के कारण ₹ 0.03 करोड़ से डेबिट तथा क्रेडिट की भिन्नता। आगे, मशीन पूर्णांकन के कारण विवरण संख्या 1 में दर्शाई गई परिसम्पत्तियों सहित ₹ 0.02 करोड़ से डेबिट शेष की भिन्नता तथा देयताओं सहित ₹ 0.01 करोड़ से क्रेडिट की भिन्नता।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(समाप्त)

(बोर्ड में आँकड़े यूटी जन्म एवं कश्मीर द्वारा अभी भी प्रभाजित और प्रतिधारित किये जाने वाले 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक के शेषों को दर्शाते हैं)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

ख **सरकारी लेखा:** सरकारी लेखे में अनुसरण की जाने वाली बहीखाता प्रणाली के अंतर्गत, सरकार के राजस्व, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों के अंतर्गत बुक की गयी राशि, जिसकी शेष राशि को लेखे में वर्ष-दर-वर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है, को एक एकल शीर्ष "सरकारी लेखा" में संवृत किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष ऐसे सभी संव्यवहारों के संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसके लिए लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं एवं अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अलावा), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के अंतर्गत शेष राशि जोड़ी जाती है और वर्ष के अंत (31 मार्च 2022) में नकद शेष को ज्ञात और प्रमाणित किया जाता है। सारांश में अन्य शीर्षकों में सरकारी लेखाबही में सभी लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों को ध्यान में रखा गया है जिसके संबंध में सरकार को प्राप्त धन का भुगतान करने की देयता है या भुगतान की गयी राशि की वसूली करने का दावा है और लेखाबही में प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिए खोले गये लेखा शीर्ष भी हैं। यह समझना चाहिए कि इन शेषों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें ना तो राज्य/यूटी की सभी भौतिक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार इत्यादि और न ही किसी प्रोद्भूत बकाया या किसी बकाया देयता को हिसाब में लिया जाता जिसको सरकार द्वारा अनुसरण किये जाने वाले लेखांकन के नकद आधार के अंतर्गत खाते में नहीं लाया जाता है।

वर्ष (31 मार्च 2022) के अंत में सरकारी लेखा के डेबिट पर प्राप्त हुयी निवल राशि निम्नलिखित है:

डेबिट	विवरण	क्रेडिट
(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
84,340.79	क. 30 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
16,217.71 (#)	क. 31 मार्च 2021 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
-	ख. प्राप्त शीर्ष (राजस्व लेखा)	59,238.50
-	ग. प्राप्त शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
59,269.33	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
11,047.04	ड. व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
-	च. उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे)	
-	छ. 31 मार्च 2022 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	27,295.58
-	छ. आकस्मिकता निधि को अंतरण	-
86,534.08	कुल	86,534.08
84,340.79		84,340.79

- (i) कई मामलों में, अंतः शेष में असंगत असमानता हैं जैसा कि प्राप्तियाँ, संवितरण और आकस्मिकता निधि और लोक लेखा (विवरण संख्या 21) के ब्योरे में बताया गया है और लेखा कार्यालय/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित पृथक रजिस्ट्रों या अन्य अभिलेखों में दर्शाया गया है। विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- (ii) शेषों को उनके सत्यापन और स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।
- (iii) जिन मामलों में शेषों की स्वीकृतियों में विलंब हुआ है और जिनमें सम्मिलित राशियाँ महत्वपूर्ण हैं, का परिशिष्ट-VII क खण्ड-II में उल्लेख किया गया है।
- (iv) शेषों के मिलान से संबंधित ऐसे मामले जिनमें विवरण/ दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, का वर्णन परिशिष्ट-VII ख खण्ड-II में दिया गया है।

(#) विवरण में मशीन पूर्णांकन अपनाए जाने के कारण पिछले आँकड़ों से ₹ 0.01 करोड़ से भिन्नता।

2021-22 के वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार:

(i) रिपोर्टिंग अधिष्ठान:

ये लेखे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं को 122 कोषागारों (20 जिला कोषागारों व एक आभासी कोषागार को सम्मिलित करते हुए) द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञापनों के आधार पर संकलित किया गया है। जैसा कि निर्माण एवं वन प्रभागों (पूर्व वर्षों में) हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार पहले ही सिविल लेखांकन प्रणाली में बदल गयी थी, 2021-22 के दौरान इन प्रभागों से कोई मासिक लेखे देय नहीं थे। वर्ष के अंत में किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्रारम्भिक संकलन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा किया जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि:

इन खातों की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है।

(iii) रिपोर्टिंग मुद्रा:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लेखे भारतीय रुपये (₹) में रिपोर्ट किये जाते हैं।

(iv) लेखाओं का स्वरूप:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं को ऐसे स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि उप-राज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह प्राप्त करने के उपरांत, निर्धारित करते हैं। धारा 71 के अनुसार "स्वरूप" शब्द का एक व्यापक अर्थ है ताकि न केवल लेखाओं को रखने वाले व्यापक स्वरूप के निर्धारण को शामिल किया जा सके, बल्कि उचित लेखा शीर्षों के चयन का आधार भी हो सके जिसके अंतर्गत संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाना है, जो लेखों के चार्ट का निर्माण करते हैं।

(v) बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) को वित्तीय वर्ष के आरंभ से पूर्व अनुदानों/ विनियोजनों के रूप में विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। बजट को सकल आधार पर वसूलियों तथा प्राप्तियों (जिन्हें व्यय की कमी के रूप में लिए जाने

की अनुमति है) के बिना प्रस्तुत किया जाता है। बजट तथा लेखाओं के शीर्षों से संबंधित सभी अनुदान/ विनियोजन, जिनके शेषों को अग्रेषित नहीं किया जाता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो जाते हैं।

बजट तथा लेखा: संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के बजट तथा लेखा दोनों समान लेखांकन अवधि का रोकड़ आधारित लेखांकन तथा वर्गीकरण के समरूप आधार का अनुसरण करते हैं। लेखों को मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची अनुसार लघु शीर्षों के स्तर तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श सहित लेखा महानियंत्रक की अधिसूचना द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में लघु शीर्षों के अधीनस्थ वर्गीकरण जम्मू एवं कश्मीर के प्रत्येक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय की सहमति के अनुसार है।

बजट से तुलना दर्शाने वाले विवरण को विनियोजन लेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अनुदानों/ विनियोजनों की तुलना में वास्तविक संवितरणों को दर्शाता है।

रोकड़ आधार: लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अधिकृत बही समायोजनों के अपवाद को छोड़कर वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों तथा संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखाओं में प्राप्तियाँ तथा संवितरण निवल आधार; निवल वसूलियों, कटौतियों तथा प्रतिदायों पर दर्शाये गये हैं।

बही समायोजन: बही समायोजन गैर-रोकड़ लेन-देन है जो लेखाओं में समायोजनों/ समाधानों के रूप में प्रकट होते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा सौंपने वाली इकाइयों जैसे की कोषागार, प्रभागों आदि के स्तर पर, वेतनों से कटौतियों एवं वसूलियों का समायोजन कर राजस्व प्राप्तियाँ/ऋण/लोक लेखाओं में समायोजन हेतु, समेकित निधि व लोक लेखा के मध्य 'शून्य' बिलों द्वारा रशियों के हस्तांतरण आदि प्रयोजनों हेतु किये जाते हैं।

बही समायोजन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय में भी किए जाते हैं। इनमें, उदाहरणार्थ, समेकित निधि को डेबिट द्वारा आरक्षित निधि/लोक लेखा (उदाहरणार्थ, राज्य आपदा मोचन निधि, ऋण शोधन निधि, केंद्रीय सड़क निधि इत्यादि) में लेखा जमा शीर्षों को क्रेडिट करना; मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान को डेबिट करते हुए एवं लोक लेखा में संबंधित मुख्य शीर्षों में क्रेडिट करते हुए सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन करना केंद्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार की योजना, अन्तर्गत ऋण माफी करना, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति इत्यादि सम्मिलित हैं।

पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण: स्थायी प्रकृति (संगठन में प्रयोग हेतु तथा व्यापार की सामान्य कार्य प्रणाली में बिक्री के लिए नहीं) की मूर्त परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के उद्देश्य से या वर्तमान परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुरक्षण, मरम्मत, समारक्षण तथा कार्य के खर्चों पर अनुवर्ती प्रभार, जो कि परिसम्पत्तियों को सुचारू रूप में रखने हेतु आवश्यक हैं, स्थापना तथा प्रशासनिक

खर्चों को सम्मिलित करते हुए संगठन के दैनिक संचालन हेतु सभी अन्य खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेखों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाता है।

भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियाँ व देयताएँ: भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियाँ (जैसे कि सरकार द्वारा निवेश, ऋण तथा अग्रिम इत्यादि) के साथ-साथ देयताएँ, जैसे कि, ऋण इत्यादि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन नहीं किया गया है, तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवन काल के अंत में क्षतियों को खपाया या मान्य नहीं किया जाता है।

सहायता अनुदान: भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएस) 2: लेखांकन तथा सहायता अनुदानों का वर्गीकरण, की अनुपालना में, रोकड़ में सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है यद्यपि इसमें अनुदानग्राही द्वारा परिसम्पत्तियों का सृजन सम्मिलित है, सिवाय उन मामलों में जो विशेषकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किए गए हैं। सभी प्राप्त अनुदानों को राजस्व प्राप्तियाँ माना जाता है। लेखांकन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विवरण तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदानों के वर्गीकरण को वित्त लेखा के विवरण 10 तथा परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। वस्तु रूप में दिए गए सहायता अनुदानों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

अग्रिम तथा ऋण: आईजीएस 3: संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा ऋण एवं अग्रिम के ब्यौरे, की अनुपालना वित्त लेखा के विवरण 7 तथा 18 में उद्घाटित किया गया है। 31 मार्च 2022 तक के विवरणों में दर्शाए गए अंत शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को सौंपे गए लेखों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। 31 मार्च 2022 तक के विवरण 7 व 18 में दर्शाए गए अंत शेषों का मिलान संघ शासित क्षेत्र के ऋणी अधिष्ठानों/सरकार द्वारा नहीं किया गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने उन ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में आँकड़ें प्रस्तुत नहीं किए जिसके लिए वे विस्तृत लेखों का अनुरक्षण करते हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को लेखों में प्रतिबिम्बित किया गया है, परन्तु सरकार की पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रति भविष्य पेंशन देयता अर्थात् भूतकाल के लिए सेवानिवृत्ति के भुगतान के प्रति देयता तथा इसके कर्मचारियों की वर्तमान सेवा को लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(vi) पूर्णांकन:

विवरणों में दर्शाए गये आँकड़ों का पूर्णांकन निकटतम ₹ लाख एवं ₹ करोड़ में किया गया है। जैसा कि संबंधित विवरणों के ऊपर दर्शाया गया है।

खण्ड-I तथा खण्ड-II में क्रमशः सारांश विवरणों तथा ब्यौरेवार विवरणों के मध्य जहाँ कहीं भी ₹ 0.01/ 0.02 लाख/ करोड़ का लघु अन्तर है, वो पूर्णांकन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेष:

लेखों में रिपोर्ट की गई रोकड़ शेष संघ शासित क्षेत्र का शेष है जैसा कि एक वर्ष के 31 मार्च के अंत में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लेखों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के लेखों में अभिलेखित किया गया है। रोकड़ शेष, वर्ष के लिए समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखा के संव्यवहारों को सम्मिलित करते हुए शेषों को उद्घाटित करते हैं। बही समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करता। वित्त लेखा में रिपोर्ट किये गये रोकड़ शेष की सत्यता भारतीय रिजर्व बैंक की बही के साथ मिलान के अधीन है।

(viii) आकस्मिक एवं प्रतिबद्ध देयताओं का प्रकटन:

आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। आईजीएस 1: 'सरकारों द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ', के अनुपालन में क्षेत्रकवार, प्रत्याभूतियों के विवरण का उद्घाटन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वित्त लेखा के *विवरण 9 और 20* में किया गया है।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं का न तो अभिलेखन किया जाता है और न ही लेखों में मान्यता दी जाती है लेकिन सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में अपनी पिछले वर्ष की प्रतिबद्धताओं का प्रकटन करती है, जिसे वित्त लेखा के *परिशिष्ट XII* के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

(ix) निकासी संव्यवहार:

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा एकत्र की गई प्राप्तियाँ जिन्हें अन्य अधिष्ठान को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है, ऐसी निकासी संव्यवहारों का लेखों पर टिप्पणियाँ में प्रकटन किया गया है।

2. लेखांकन तंत्र का अनुपालन:**(i) मासिक खातों को बंद करने के पश्चात कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज न करना:**

मासिक खातों को बंद करने के पश्चात कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज न करने से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को मासिक खाते जमा करने के बाद डेटा हेरफेर की गुंजाइश हो सकती है तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय और संघ शासित क्षेत्र सरकार के मध्य आंकड़े/डेटा का त्रुटिपूर्ण मिलान हो सकता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में, मासिक खातों को बंद करने और उन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में भेजने के पश्चात एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मासिक खातों को फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. समेकित निधि:

(i) वस्तु एवं सेवा कर:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य/संघ शासित क्षेत्र जीएसटी संग्रह 2020-21 में ₹ 4,839.35 करोड़ की तुलना में ₹ 1,554.96 (32.13 प्रतिशत) करोड़ की वृद्धि पंजीकृत करते हुए ₹ 6,394.31 करोड़ था। इसमें ₹ 4,334.63 करोड़ की राशि के आईजीएसटी का अग्रिम प्रभाजन सम्मिलित है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 2021-22 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 892.56 करोड़ का प्रतिकर प्राप्त हुआ।

राज्य के संघ शासित क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर सरकार वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्गत राज्य को निवल लाभों का कोई अंश नहीं सौंपा गया।

आगे, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को भी 2021-22 के दौरान ₹ 3,845.49 करोड़ का ऋण (31 मार्च 2022 तक कुल ₹ 5,945.29 करोड़ का ऋण) जीएसटी प्रतिकर के बदले केंद्र सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे भारत सरकार के व्यय विभाग के निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ii) राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के मध्य में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण:

वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने राजस्व अनुभाग के बजाय पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 158.76 करोड़ (सहायता अनुदान ₹ 63.60 करोड़ और सब्सिडी ₹ 95.16 करोड़) के व्यय को त्रुटिपूर्ण ढंग से बुक किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राजस्व/राजकोषीय घाटे पर त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रभाव पैरा 6 के अन्तर्गत दिया गया है।

(iii) सीसीओ और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्तियों और व्यय का समाधान:

सभी नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि सरकार की प्राप्तियों और व्यय का समाधान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ किया जाए। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 53,275.15 करोड़ की राशि (₹ 59,238.50 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 89.93 प्रतिशत) तथा ₹ 49,058.57 करोड़ (₹ 70,316.36 करोड़ के कुल व्यय का 69.77 प्रतिशत) के व्यय का मिलान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया था।

इसकी तुलना में, ₹ 48,444.58 करोड़ (₹ 52,495.48 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 92.28 प्रतिशत) तक की प्राप्ति राशि तथा ₹ 40,905.14 करोड़ (₹ 63,104.13 के कुल व्यय का 64.82 प्रतिशत) की व्यय राशि का मिलान वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया था।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत:

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का केवल तभी संचालन किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 36 प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4,289.52 करोड़ (₹ 1.20 करोड़ निवेश सहित), कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 6.10 प्रतिशत (₹ 70,316.36 करोड़) को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान, 48 प्रमुख लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,677.34 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 63,104.13 करोड़) का 7.41 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 37 प्रमुख लेखा शीर्षों के कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 59,238.50 करोड़) के 6.98 प्रतिशत के अन्तर्गत ₹ 4,134.84 करोड़ (विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ₹ 2,715.77 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों सहित) को लेखों में 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान, 38 प्रमुख लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,741.00 करोड़ (विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹ 2,349.74 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों सहित), कुल राजस्व प्राप्तियों के 7.13 प्रतिशत (₹ 52,495.48 करोड़) को लेखों में 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

(v) व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों में हस्तांतरण:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत जमा खाते का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(vi) असमायोजित सार आकस्मिक (एसी) बिल:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सार आकस्मिक (एसी) बिलों का आहरण करने तथा उनके निपटान हेतु कोडल प्रावधानों को संशोधित नहीं किया है। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्तीय कोड खंड-1 (पैरा 7.18) की परिकल्पना की गई है, जब आकस्मिक व्यय हेतु कोषागार से धन का आहरण आवश्यक समझा जाता है, जिसके वाउचरों को आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के भुगतान से पूर्व वाउचर आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वैसी स्थिति में एसी बिल के माध्यम से राशि आहरण हेतु अधिकृत है। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठित-पूर्व) वित्तीय संहिता पैरा 7.10 के संदर्भ में, डीडीओ को अंतिम व्यय के

समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम आहरित किया गया था।

- (क) वर्ष 2021-22 के दौरान आहरित ₹ 5,122.00 करोड़ के 554 एसी बिलों में से, मार्च 2022 में ₹ 1,848.60 करोड़ (36.09 प्रतिशत) की राशि के 391 एसी बिलों का आहरण किया गया। कुल 1,139 एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिल 31 मार्च 2022 तक ₹ 11,448.03 करोड़ प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2022 तक डीसीसी बिलों को जमा करने के लंबित असमायोजित एसी बिलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष 2020-21 तक (31.10.2019 से 31.01.2021)	354	5,267.71
2021-22 (01.02.2021 से 31.01.2022)	785	6,180.32
कुल	1,139	11,448.03

- (ख) पिछले वर्ष 31 मार्च 2021 को कुल 356 एसी बिलों की राशि ₹ 5,280.71 करोड़ के संबंध में डीसीसी बिल प्राप्त नहीं हुए थे। पिछले वर्ष (31 मार्च 2021) से संबंधित असमायोजित एसी बिलों का ब्यौरा निचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष 2019-20 (31.10.2019 से 31.01.2020) तक	52	340.03
वर्ष 2020-21 (01.02.2020 से 31.01.2021)	304	4,940.68
कुल	356	5,280.71

- (ग) इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2021 को बकाया ₹ 6,885.63 करोड़ की राशि के 2,237 एसी बिलों में से 30 अक्टूबर 2019 तक (पुनर्गठन पूर्व) तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा, 5,830.41 करोड़ रुपये की राशि के 2,154 एसी बिलों के संबंध में 31 मार्च 2022 तक डीसीसी बिल प्रतीक्षित थे। इन बकाया एसी बिलों का विभाजन उत्तरवर्ती संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य किया जाना शेष है।

(vii) सहायता अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए:

- (क) संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सहायता अनुदान के आहरण और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने से संबंधित संशोधित नियम नहीं बनाए हैं। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठन-पूर्व) के वित्तीय कोड खंड-I, पैरा 10.19 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने वाले द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी), अनुदानग्राही द्वारा अनुदान प्राप्त होने की तारीख से 18 महीने के भीतर या उसी विषय पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो जारी करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यूसी जमा न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकती है।

31 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक की अवधि हेतु 31 मार्च 2022 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन पश्चात) से संबंधित बकाया यूसी की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष 2021-22 (31.10.2019 से 30.09.2020)	770	3,137.11
कुल	770	3,137.11

* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 महीने पश्चात।

वर्ष 2021-22 के दौरान अतिरिक्त, ₹ 4,371.04 करोड़ (वर्ष के दौरान समाशोधित ₹ 499.81 करोड़ को छोड़ते हुए)।

- (ख) इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान, 31 मार्च 2021 को बकाया ₹ 10,076.58 करोड़ की राशि के 3,215 बिलों में से, 30 सितंबर 2019 तक की अवधि (पुनर्गठन पूर्व) के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी से संबंधित ₹ 1,918.26 करोड़ के 126 बिलों को स्वीकृति दी गई थी। 31 मार्च 2022 तक, 30 अक्टूबर 2019 तक आहरण किए गए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित बकाया यूसी जिसका द्विभाजन संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य किया जाना शेष है, की स्थिति नीचे दी गई है।

वर्ष*	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	1,737	6,186.73
2020-21	1,352	1,971.59
2021-22 (01.10.2019 से 30.10.2019 तक)	शून्य	शून्य
कुल	3,089	8,158.32

* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 महीने पश्चात।

(viii) ब्याज समायोजन:

(क) सरकार जे-आरक्षित निधियाँ (ए. ब्याज वहन करने वाली) तथा के-जमा व अग्रिम (ए. ब्याज वहन करने वाली जमा) के अन्तर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य हेतु, विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष को मुख्य तथा लघु लेखा शीर्ष की सूची में उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं तथा ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधियाँ/जमाएँ	1 अप्रैल 2021 को शेष	ब्याज की गणना हेतु आधार	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	कम भुगतान किया गया ब्याज
राज्य प्रतिकर वनीकरण निधि-एमएच-8121	764.57	पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा	25.61	शून्य	25.61
राज्य प्रतिकर वनीकरण जमा-एमएच-8236	475.26	जारी परिपत्रों के अनुसार (@ 3.35 प्रति शत प्रति वर्ष)	15.92	शून्य	15.92
कुल			41.53	शून्य	41.53

₹ 41.53 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 41.53 करोड़ तक की राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई है।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार "आई-लघु बचत तथा भविष्य निधि इत्यादि" पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा राज्य जीवन बीमा (एसएलआई) खातों पर ब्याज को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (जून 2022) सरकार द्वारा अनंतिम/अस्थायी आधार पर अवगत कराया गया, जो अपने कर्मचारियों के जीपीएफ और एसएलआई खातों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के लिए व्यय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, देयताएं वास्तविक और अस्थायी आंकड़ों के बीच अंतर की सीमा तक भिन्न होंगे।

(ix) सरकार द्वारा किये गये निवेश:

(क) वित्त लेखे के विवरण संख्या 8 और 19 में प्रदर्शित होने वाले सरकारी निवेश की जानकारी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से संबंधित निवेशकर्ता अधिष्ठान से प्राप्त जानकारी पर

आधारित है, परन्तु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संबंधित विभागों (वित्त सहित) द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निवेश के रूप में ₹ 69.37 करोड़ की राशि बुक की। बुक की गई राशि के प्रति, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 573.01 करोड़ का निवेश दिखाया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त लेखों के विवरण संख्या 16 और 19 (खंड-II) के मध्य ₹ 503.64 करोड़ का अन्तर है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अब (प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा के माध्यम से) वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में प्रतिबिंबन हेतु ₹ 143.73 करोड़ के निवेश का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह निवेश संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन पश्चात) से संबंधित वर्ष 2020-21 से संबंधित है तथा अधिष्ठान द्वारा पहले सूचित नहीं किया गया था। चूंकि निवेश पिछले वर्षों (2020-21) से संबंधित है, इसलिए इसे 31 मार्च 2021 को संचयी शेष राशि में जोड़ा गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2022 तक (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक) ₹ 879.13 करोड़ का निवेश किया था, जिसने वर्ष 2021-22 के दौरान कोई लाभांश नहीं दिया। 31 मार्च 2022 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूचित संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	अधिष्ठानों की संख्या	वर्ष 2021-22 के अंत में निवेश
सांविधिक निगम	2	191.90
ग्रामीण बैंक	2	2.35
सरकारी कम्पनियाँ	39	445.03 [§]
अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ तथा साझेदारी	2	-
सहकारी बैंक तथा सोसाइटियाँ	8	239.85*
कुल	53	879.13

[§] वर्ष 2020-21 के दौरान सम्मिलित ₹ 143.73 करोड़ का निवेश किया गया, क्योंकि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 हेतु संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

* पंजीयक, सहकारी समितियाँ (जुलाई 2022) से सहकारी समितियों में निवेश की प्रतीक्षित अद्यतन सूचना के कारण, पिछले खातों में दर्शाए गए 31 मार्च 2020 तक के निवेश को चालू खातों में दर्शाया गया है।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम ने अब (प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा के माध्यम से) वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में प्रतिफल हेतु ₹ 3.00 करोड़ के निवेश का विवरण प्रस्तुत किया है। ये निवेश अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त अवधि से संबंधित हैं और इन्हें अधिष्ठान द्वारा पहले सूचित नहीं किया गया था। चूंकि निवेश पिछले वर्षों (30 अक्टूबर 2019 तक) से संबंधित है, अतः इन्हें 30 अक्टूबर 2019 को संचयी शेषों में जोड़ा गया है।

(ग) 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) के अंत में पूर्ववर्ती राज्य द्वारा 52 अधिष्ठानों में किया गया कुल निवेश (संशोधित आंकड़े) निवेशी अधिष्ठानों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रदान की गई सूचना/आंकड़ों के आधार पर ₹ 4,620.16 करोड़ था तथा इन आंकड़ों का सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया था। इन निवेशों का प्रभाजन संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (अगस्त 2022) के मध्य किया जाना शेष है। लेखों में दर्शाए गए निवेश को उत्तरवर्ती संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजन से पूर्व सरकार के साथ अधिष्ठानों द्वारा समाधान अपेक्षित है।

(x) **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ :**

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई विशिष्ट प्रत्याभूति अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया है जो प्रत्याभूति की सीमा निर्धारित करेगा जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दिया जा सकता है और उस पर कमीशन/ शुल्क प्रभारित किया जा सकता है। वर्ष 2021-22 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022) के अंत तक संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा पुनर्संगठन पश्चात प्रत्याभूतिकृत संचयी राशि ₹ 12,328.80 करोड़ (संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ समाधान के अन्तर्गत) है।

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठन पूर्व 30 अक्टूबर 2019 को को समाप्त) द्वारा दी गई ₹ 452.65 करोड़ [प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त संशोधित डाटा] की बकाया प्रत्याभूति भी है, जो अभी उत्तरवर्ती संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रत्याभूति कमीशन/शुल्क के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) **पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर व्यय:**

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को विभिन्न प्रकार्यात्मक लेखा शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक के वित्त लेखों में दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435- "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अन्तर्गत ₹ 64.67 करोड़ के बजट आवंटन (बीई) के प्रति ₹ 45.16 करोड़ व्यय किए। पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 2406- "वानिकी और वन्य जीवन" और 3435- "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अन्तर्गत ₹ 119.88 करोड़ के बजट आवंटन (बीई) के प्रति ₹ 83.81 करोड़ व्यय किए।

(xii) **अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय:**

वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने न तो कोई विशिष्ट और विस्तृत लेखा शीर्ष संचालित किया है और न ही अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित अनुदानों की मांग हेतु बजट प्रावधान रखा गया है।

संघ शासित क्षेत्र सरकार को 'इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस' उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान/केंद्रीय सहायता इत्यादि होने के कारण केंद्र सरकार से ₹ 281.66 करोड़ प्राप्त हुए, जिनका लेखांकन मुख्य शीर्ष 1601- "केंद्र सरकार से सहायता अनुदान" के अन्तर्गत किया गया है।

(xiii) संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण:

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 21.57 करोड़ की राशि के पुराने ऋणों [जिनके विस्तृत लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षण किए जाते हैं] को अभी भी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त अवधि के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा वैधानिक निकायों / अन्य संस्थाओं को दिए गए ₹ 1,718.87 करोड़ के बकाया ऋण भी थे, जिन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी भी प्रभाजित किया जाना शेष है। परिणामस्वरूप, इस खाते पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्य राशि का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक ऋण शेषों [जहां प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा विस्तृत लेखों का अनुरक्षण किया जाता है] के संबंध में ऋण संस्वीकृत करने वाले विभागों को सत्यापन और स्वीकृति हेतु सम्पर्क करता है। किसी भी ऋणी ने शेषों (जुलाई 2022) की पुष्टि नहीं की है।

शेषों के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का ब्यौरा वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

(xiv) प्रतिबद्ध देयताएँ:

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्रोद्घवन आधारित लेखांकन की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। तथापि, चूंकि संक्रमण चरणों में होगा, लेखांकन की प्रोद्घवन-आधारित प्रणाली में परिवर्तन के लिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में जोड़ा जाना अपेक्षित है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रतिबद्ध देयताओं के संबंध में जानकारी देनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तथापि, मार्च 2022 में संसद के समक्ष रखे गए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा परिलक्षित 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिबद्ध देयताएँ वित्त लेखों के परिशिष्ट- XII में परिलक्षित हुई हैं।

(xv) ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का पुनर्गठन:

योजना/गैर-योजना वर्गीकरण के विलय के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सहायता मोचन को अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केंद्रीय सहायता/अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2022 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बुक किया गया कुल व्यय ₹ 5,415.28 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 2,007.69 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 3,407.59 करोड़) है, जिसमें संघ शासित क्षेत्र के अंश को छोड़कर केंद्रीय सहायता से व्यय सम्मिलित है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ शासित क्षेत्र का अंश, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा समूह शीर्ष-0099- राजस्व अनुभाग में "सामान्य" तथा पूंजीगत अनुभाग में 0011- "सामान्य" के अन्तर्गत सामान्य व्यय से पूरा किया जाता है।

(xvi) संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र के बजट से बाहर की गई निधि):

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अभिकरणों (विभिन्न सरकारी विभागों को ₹ 802.04 करोड़ सहित) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ₹ 3,992.76 करोड़ प्राप्त किए गए थे। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ₹ 3,992.76 करोड़ की कुल राशि में से मध्यस्थों को तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा हस्तांतरित राशियों से संबंधित सूचना संघ शासित क्षेत्र सरकार से अद्यपर्यंत प्रतीक्षित है।

2020-21 (2020-21 में ₹ 2,761.19 करोड़ से ₹ 3,992.76 करोड़) की तुलना में 2021-22 में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे धन हस्तांतरण में 44.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के सरकारी विभागों को सीधे स्थानांतरण का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VI में दिया गया है।

(xvii) संघ शासित क्षेत्र सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ:

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताओं का प्रकटन नहीं किया। हालांकि, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को दिए गये उत्तर में खुलासा किया है कि जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (जेकेआईडीएफसी) द्वारा जुटाई गई ₹ 2,250.00 करोड़ की ऋण राशि की अदायगी, इस उद्देश्य के लिए समर्पित राजस्व से की जा रही है। इसके अलावा, केंद्र शासित क्षेत्र सरकार, जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) द्वारा जुटाई गई ₹ 10,321.83 करोड़ की ऋण राशि पर ब्याज चुका रही है। 31 मार्च 2022 तक उपरोक्त ऋणों की बकाया राशि जेकेआईडीएफसी और जेकेपीसीएल के मामले में क्रमशः ₹ 2,122.77 करोड़ और ₹ 10,321.83 करोड़ है।

(xviii) एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) के बैंक खाते में रखी हुई अव्ययित राशि:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों का सरकार द्वारा उपयोग प्रतिबंधित है तथा संबंधित एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) के खाते में इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था।

31 मार्च 2022 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा एसएनए खाते में अव्ययित राशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

4. आकस्मिकता निधि:

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि से संबंधित या अभिरक्षा में सहायक, धनराशियों के भुगतान और धन के आहरण से संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार ने 'जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि नियम, 2020' (अधिसूचना संख्या एस.ओ- 271 दिनांक 27 अगस्त 2020) का निर्माण किया। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 25.00 करोड़ का कोषधन है जो वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से हस्तांतरित किया गया है। 31 मार्च 2022 के अंत तक निधि के अन्तर्गत शेष राशि ₹ 25.00 करोड़ थी। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ एक करोड़ की शेष राशि थी जिसे अभी भी दो उत्तरवर्ती संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

5. लोक लेखा:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):

वर्ष 2021-22 के दौरान, एनपीएस जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल अंशदान ₹ 1,587.13 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 652.55 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹ 934.58 करोड़) था। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के *विवरण संख्या 15* में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत लोक लेखा में ₹ 1,587.13 करोड़ हस्तांतरित किए।

(ii) (अ) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ:

(क) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ):

राज्य आपदा आपदा निधि (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो ब्याज धारिता अनुभाग के अन्तर्गत है) के गठन और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों से 90:10 अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो नए संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन करने पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने राज्य

आपदा मोचन निधि को जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'संघ शासित क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान के लिए अनुदान' के रूप में ₹ 279.00 करोड़ की प्राप्ति हुई। वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंश ₹ 31.00 करोड़ था। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एसडीआरएफ के अन्तर्गत निधि में ₹ 361.23 करोड़ (केन्द्र अंश ₹ 279.00 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹ 31.00 करोड़, ब्याज ₹ 49.61 करोड़ तथा अव्ययित शेष ₹ 1.62 करोड़) हस्तांतरित किए।

(ख) राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों से प्रतिकर वनरोपण उपक्रम हेतु प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य के लोक लेखा में ब्याज धारिता अनुभाग के अन्तर्गत राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि की स्थापना अपेक्षित है।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो नए संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन पर, उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि को जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने प्रयोक्ता अभिकरणों से ₹ 8.55 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 180.19 करोड़) प्राप्त किए। वर्ष 2021-22 के दौरान या वर्ष 2021-21 के दौरान राष्ट्रीय निधि में कोई राशि प्रेषित नहीं की गई। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिकर वनरोपण जमा से शून्य राशि (पिछले वर्ष में ₹ 356.20 करोड़) प्राप्त की। 31 मार्च 2022 को राज्य प्रतिकर वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 764.57 करोड़ था। 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 8336-"सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि" के अंतर्गत ₹ 483.81 करोड़ का शेष भी बचा हुआ है।

(ब) ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ:

(क) समेकित ऋण शोधन निधियाँ: तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पृथक रूप से कोई समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया गया। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में ऋणों के परिशोधन हेतु समेकित ऋण शोधन निधि को स्थापित किया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ करके 2021-22 तक प्रत्येक वर्ष 2010-11 के अंत में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के न्यूनतम 10 प्रतिशत का योगदान कर सकती है ताकि इसे 2010-11 की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के बराबर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धिशील देनदारियों के संबंध में अंशदान ऐसी वृद्धिशील देनदारियों के 0.5 प्रतिशत पर किया जाएगा ताकि योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाने वाले स्तर तक पहुंचा जा सके। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्तमान निधि को जारी रखा तथा वर्ष 2021-22 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹45.00 करोड़ का अंशदान दिया। वर्ष 2012 के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि में अंशदान हेतु अपेक्षित राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) को निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 355.87 करोड़ की शेष राशि को

अभी भी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है। निधि का कुल संचय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि हेतु (पुनर्गठन पश्चात) 31 मार्च 2022 को ₹ 100.63 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 55.63 करोड़) था।

(ख) प्रत्याभूति मोचन निधि: प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर आरबीआई के वर्ष 2013 के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है कि सरकार के लिए वर्ष के आरंभ में निधि के योगदान में वर्ष के आरंभ में बकाया प्रत्याभूतियों का न्यूनतम एक प्रतिशत और तत्पश्चात पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूतियों के न्यूनतम तीन से पांच प्रतिशत के कोष को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 0.50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम योगदान करना अपेक्षित है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2022 तक प्रत्याभूति मोचन निधि अधिनियम नहीं बनाया है। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की प्रत्याभूति मोचन निधि योजना में कोष में योगदान के लिए कोई लक्ष्य नहीं था। वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोष में केवल ₹ 2.00 करोड़ का योगदान दिया। पुनर्गठन के पश्चात की अवधि अर्थात् 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक निधि का कुल संचय 31 मार्च 2022 को ₹ 4.00 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 2.00 करोड़) था। 30 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन पूर्व ₹ 20.42 करोड़ की राशि शेष थी जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी भी प्रभाजित किया जाना शेष है। ₹ 24.42 करोड़ की पूरी राशि [संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित ₹ 4.00 करोड़ की राशि (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022) तथा तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (30 अक्टूबर 2019 तक) से संबंधित ₹ 20.42 करोड़ की राशि] को सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया है।

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेष:

वित्त लेखा उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिम्बित करता है। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष, जो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया डेबिट तथा क्रेडिट शेषों पर पृथक रूप से समेकित करते हुए किया जाता है, 31 मार्च 2022 [31 मार्च 2021 तक ₹ 755.65 करोड़ (निवल डेबिट)] तक नौ लघु शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 448.94 करोड़ (निवल डेबिट) बकाया शेष था।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,114.33 करोड़ [₹ 733.16 करोड़ (डेबिट) उचंत के अन्तर्गत तथा ₹ 2,847.49 करोड़ (क्रेडिट) प्रेषण के अन्तर्गत] का निवल क्रेडिट शेष भी था जिसे अभी भी उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है।

इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों की गैर-निकासी संघ शासित सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष अग्रोषित किया जाता है) के अन्तर्गत प्राप्तियों/व्यय के आँकड़ों की परिशुद्धता को प्रभावित करते हैं।

(iv) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार:

वर्ष 2021-2022 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029-“भू-राजस्व”(श्रम उपकार के सिवाय) के नीचे लघु शीर्ष 103-“भूमि पर दर तथा उपकर” के अन्तर्गत ₹ 21.45 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 22.45 करोड़) की राशि का खर्च दिखाया। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा एकत्रित किए गए उपकरणों के हस्तांतरण हेतु किसी निधि को स्थापित नहीं किया गया।

(v) रोकड़ शेष:

प्रधान महालेखाकार के अभिलेखों तथा आरबीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार [जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा आकलन किया गया] 31 मार्च 2022 को रोकड़ शेष क्रमशः ₹ 1,447.65 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 1,445.73 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा आरबीआई/एजेंसी बैंक के साथ मुख्यतः गैर-समाधान के कारण ₹ 1.92 करोड़ (डेबिट) का निवल अन्तर था। अन्तर के मिलान का कार्य चल रहा है।

प्रधान महालेखाकार के अभिलेखों तथा आरबीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार [जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा आकलन किया गया], 31 मार्च 2021 को रोकड़ शेष क्रमशः ₹ 1,447.69 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 1,448.27 करोड़ क्रेडिट था। मुख्यतः गैर-मिलान के कारण ₹ 0.58 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अन्तर था।

30 अक्टूबर 2019 तक आरबीआई तथा प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य भी ₹ 83.32 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अन्तर था जिसे अभी भी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य मिलान तथा प्रभाजित किया जाना है।

(vi) राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का आबंटन:

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 84 तथा 85) तथा सरकारी आदेश संख्या 2021 के 14-एफ 14 जनवरी 2021 के पश्चात 30 अक्टूबर 2020 के संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना इस तरीके का उपबंध करती है जिसके अनुसार 31 अक्टूबर 2019 से उत्तरदायी संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य शेषों को प्रभाजित किया जाए।

यद्यपि, 14 जनवरी 2021 को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया गया, 30 अक्टूबर 2019 तक सभी शेषों को उत्तराधिकारी संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी भी प्रभाजित किया जाना शेष है जिसके परिणामस्वरूप कुछ लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष हैं। अप्रभाजित मदों का ब्यौरा वित्त लेखा के खण्ड-II के परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

6. राजस्व व्यय पर प्रभाव:

संघ शासित क्षेत्र के वित्तों पर सांविधिक प्रावधानों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण/ गैर-अनुपालन के कारण राजस्व व्यय पर प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराओं में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

पैरा संख्या	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय की अध्युक्ति (₹ करोड़ में)	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति (₹ करोड़ में)
3(ii)	राजस्व तथा पूंजीगत के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	-	158.76
3(viii)(क)	राज्य प्रतिकर वनीकरण निधि एमएच-8121 पर ब्याज की गैर- अदायगी	-	25.61
3(viii)(क)	राज्य प्रतिकर वनीकरण निधि एमएच-8236 पर ब्याज की गैर- अदायगी	-	15.92
कुल (निवल) प्रभाव	न्यूनोक्ति	-	200.29

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/jammu-and-kashmir/en>